



कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।



Email id: nodalfca.forest@uk.gov.in

Phone/Fax: 0135 2767611

वृक्षः कुटुम्बकम्
ONE EARTH - ONE FAMILY - ONE FUTURE

पत्रांक- 765 / 12-1 : देहरादून: दिनांक: 08 अक्टूबर, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक, (के0)
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :- जनपद-टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के कि०मी० 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8180 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
प्रस्ताव सं०-FP/UK/ROAD/38305/2019

संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8बी/यू०सी०पी०/०६/५२/२०२०/एफ०सी०/१६५० दिनांक २८-१०-२०२० एवं पत्रांक ८बी/यू०सी०पी०/०६/५२/२०२०/एफ०सी०/१४४५ दिनांक १७-०३-२०२५

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून पत्रांक ८बी/यू०सी०पी०/०६/५२/२०२०/एफ०सी०/१४४५ दिनांक १७-०३-२०२५ के द्वारा २ बिन्दुओं की सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। उक्त के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी के पत्र संख्या ४०५१/१२-१ दिनांक ०२.०६.२०२५ द्वारा अनुपालन आख्या एवं ४१४८/१२-१ दिनांक ०५.०६.२०२५ के माध्यम से चाही गई सूचना/अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है:-

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
1	A CA scheme of the additional CA area (of 4.00 ha over DFL) shall be submitted.	आरक्षित वन भूमि, सौड क०सं०-१, भिलंगना राजि में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित क्षतिपूरक वनीकरण योजना संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्न-डिजिटल, जियोरेफरेंस मैप एवं सी०ए० स्कीम)
सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित है:-		
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3.	प्रतिपूरक वनीकरण :- क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर ३.६३६ है० गैर वानिकी भूमि ग्राम कोठार सिविल खसरा नम्बर ११२, २२९३, २४८४, ११२ में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	(क) शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग के द्वारा ३.६३६ है भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके १० वर्षों तक रख-रखाव हेतु ₹ १२,२६,००१.०० की धनराशि कैम्पा कोष में जमा कराई जा चुकी है। उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल में से २ है० भूमि MDF होने के कारण ४ है० अवनत वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
	ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तांतरण, नामांतरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ0सी0ए, 1980 की guideline के para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं नामांतरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्ण आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	गया है। किन्तु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल 3.636 है0 हेतु वृक्षारोपण की धनराशि कैम्पा कोष में जमा करायी गई है। (संलग्न-03क) (ख) शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नई क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल चिन्हित ग्राम कोठार, पट्टी भिलंग की खाता सं0 31 खसरा सं0 2570म0 कुल क्षेत्रफल 3.636 है0 भूमि को जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल के आदेश संख्या 554/XI-ALC(2020-21) दिनांक 21.09.2021 के द्वारा वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/हस्तांतरित की जा चुकी है। (संलग्न-1) (ग) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
4.	शुद्ध वर्तमान मूल्य :- (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.425 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	(क) शर्त संख्या के अनुपालन में प्रस्तावक अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि ₹ 11,94,426.00 ऑनलाईन जमा की गयी है। (चालान की प्रति संलग्न) (ख) शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्न-5ख)
5.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 39 trees and से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
6.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वांछित कुल धनराशि ₹ 2420427.00 ऑनलाईन कैम्पा कोष में जमा में जमा किया गया है।
7.	State Govt. Will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guideline para 11.2 The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expire of one year from the date of issue of such permission.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
8.	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
9.	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों-बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
10.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
11.	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
12.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
13.	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
15.	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
16.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
17.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
18.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सीयों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
19.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देशानुसार फाइनल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
22.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
23.	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन आख्या ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जा रही है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी/प्रस्तावक विभाग के अनुरोध के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण एवं सर्वेधन) अधिनियम-1980 यथासंशोधित-2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० एस०पी० सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण

संख्या- 765 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड, शासन।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड-II, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी

(डॉ० एस०पी० सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन।

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड भिलंगना में घनसाली-धुत्तू मोटर मार्ग के कि०मी० 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8180 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

वन प्रभाग का नाम:- टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी

वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल:- ग्राम कोठार, पट्टी भिलंग खाता सं०-21 खसरा सं०-2570(म०) , भिलंगना रेंज।

चयनित वृक्षारोपण स्थल का क्षेत्रफल:- 1.636 हे० (रोपित की जाने वाली पौधों की संख्या- 1000पौध/हे०)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन करना।	1.00	Ha.	741.00	741.00
2	क्षेत्र में झाड़ी कटान (जड़ सहित उखाड़ना एवं नष्ट करना)	1.00	Ha.	8138.00	8138.00
3	दिवाल बन्दी (94.50 घनमी०)	1.00	Ha.	83662.00	83662.00
4	वनीकरण के सम्पूर्ण परिधि में जैविक घेरबाड़	1.00	Ha.	6329.34	6329.34
5	गड़दों का संरेखण एवं चिन्हीकरण	1000	No.	0.91	910.00
6	गड़दे खुदान (30cm x 30cm x 45cm)	1000	No.	16.90	16900.00
7	स्टैगर्ड कन्टूर फरों का संरेखण एवं चिन्हीकरण	100.00	No.	1.78	178.00
8	स्टैगर्ड कन्टूर फरों का खुदान कार्य (3.00m x 0.45m x 0.30m)	100.00	No.	171.59	17159.00
7	पौधों की कीमत	1000	No.	23.30	23300.00
8	निरीक्षण बटिया	1.00	Ha.	1639.30	1639.30
9	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य	1.00	Ha.	L.S	146000.00
10	वनीकरण क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था	1.00	Ha.	L.S	30000.00
11	अन्य आकस्मिक व्यय	1.00	Ha.	1497.60	1497.60
योग प्रथम चरण:-					336454.24
द्वितीय चरण					
क्र० सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	पौधों का रखरखाव 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित (द्वितीय वर्ष)	1000	No.	5.60	5600.00
2	पौध का दुलान मय 10 प्रतिशत दुलान में क्षतिपूर्ति सहित बैग पौध, लदाई व उतराई सहित	1000	No.	17.78	17780.00
3	कंकड पत्थर छानकर गड़दों का खाद/कीटनाशक मिलाकर	1000	No.	3.06	3060.00
4	पौध रोपण करना अच्छी प्रकार दबाना, अच्छी प्रकार थावला बनाना व रोपण क्षेत्र के अन्दर दुलान सहित।	1000	No.	5.75	5750.00
5	गड़दों में रासायनिक खाद 20 ग्राम प्रति गड़दा/कीटनाशक	1000	No.	2.02	2020.00
5	निराई गुड़ाई व मल्लिचंग होईग प्रथम व द्वितीय	1000	No.	14.06	14060.00
7	रखरखाव रोपण वर्ष में 7 माह एक श्रमिक कम से कम 10हे० क्षेत्र को आधार मानकर	1.00	Per ha.	12855.00	12855.00
8	अग्नि सुरक्षा कार्य	1.00	Per ha.	1023.03	1023.03
9	अन्य प्रकीर्ण व्यय	1.00	Ha.	4000.00	4000.00


 वन क्षेत्राधिकारी
 भिलंगना राजि घनसाली
 टि०व०प्र०, नई टिहरी।

योग द्वितीय वर्ष - 66148.03

तृतीय चरण

क्र०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष का रखरखाव 12 माह हेतु (1श्रमिक कम से कम 10 हे० क्षेत्र को आधार मानकर)	1.00	Per ha.	12855.00	15426.00
2	निराई गुड़ाई व मल्लिंग कार्य	1000	No.	2.28	2280.00
3	क्षतिपूरक रोपण 10 प्रतिशत उपलब्ध शासनादेशों के आधार पर अनुमन्यता होने की स्थिति में।				
i	पौध की कीमत	100	No.	30.12	3012.00
ii	पौध का दुलान	100	No.	17.78	1778.00
4	अग्नि सुरक्षा कार्य	1.00	Per ha.	1023.03	1023.03
योग -					23519.03

चतुर्थ चरण

क्र०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष का रखरखाव 12 माह हेतु (1श्रमिक कम से कम 10 हे० क्षेत्र को आधार मानकर)	1.00	Per ha.	12855.00	15426.00
2	निराई गुड़ाई व मल्लिंग कार्य	1000	No.	2.28	2280.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य	1.00	Per ha.	1023.03	1023.03
योग -					18729.03

पंचम वर्ष

क्र०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष का रखरखाव 12 माह हेतु (1श्रमिक कम से कम 10 हे० क्षेत्र को आधार मानकर)	1.00	Per ha.	12855.00	15426.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1.00	Per ha.	1023.03	1023.03
योग -					16449.03

षष्ठम वर्ष

क्र०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष का रखरखाव 12 माह हेतु (1श्रमिक कम से कम 10 हे० क्षेत्र को आधार मानकर)	1.00	Per ha.	12855.00	15426.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1.00	Per ha.	1023.03	1023.03
योग -					16449.03

सप्तम वर्ष

क्र०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष का रखरखाव 12 माह हेतु (1श्रमिक कम से कम 10 हे० क्षेत्र को आधार मानकर)	1.00	Per ha.	12855.00	15426.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1.00	Per ha.	1023.03	1023.03
योग -					16449.03

अष्टम वर्ष

क्र०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष का रखरखाव 12 माह हेतु (1श्रमिक कम से कम 10 हे० क्षेत्र को आधार मानकर)	1.00	Per ha.	12855.00	15426.00

वन क्षेत्राधिकारी
भिलंगना राजि घनसाली
टि० व० प्र०, नई टिहरी।

2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1.00	Per ha.	1023.03	1023.03
				योग -	16449.03
नवम वर्ष					
क्र०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष का रखरखाव 12 माह हेतु (1श्रमिक कम से कम 10 हे० क्षेत्र को आधार मानकर)	1.00	Per ha.	12855.00	15426.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1.00	Per ha.	1023.03	1023.03
				योग -	16449.03
दशम वर्ष					
क्र०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष का रखरखाव 12 माह हेतु (1श्रमिक कम से कम 10 हे० क्षेत्र को आधार मानकर)	1.00	Per ha.	12855.00	15426.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1.00	Per ha.	1023.03	1023.03
				योग -	16449.03
				कुल योग (प्रथम चरण से दशम चरण):-	543544.51
				या-	543037.00
	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दर प्रति हे० (वर्ष 2025-26)			543037.00	
	अवनत वन में वृक्षारोपण हेतु अपेक्षित भूमि			1.636 हे०	
	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अपेक्षित धनराशि			1.636 हे० X 543037.00	
	कुल योग रू० :-			₹ 8,88,408.53	
	या रू० :-			₹ 8,88,409.00	

वन क्षेत्राधिकारी
भिलंगना राजि घनसाली
टि० व० प्र०, नई टिहरी।

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी
नई टिहरी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड- I,
नई टिहरी

Tele Phone No:- 01376-234594
Fax No:- 01376-234594
E-Mail ID:-cepmgsytehri1@rediffmail.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

पत्रांक :- 642 / पी0एम0जी0एस0वाई0सि0ख0- I, / कोठार मार्ग-वन भूमि

दिनांक :- 29 / 05 / 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।

विषय:-

जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के किमी0 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8180 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38305/2019)

सन्दर्भ:-

1. आपका पत्र संख्या-1187 / 12-1 नई टिहरी, दिनांक 11-12-2020
2. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून के पत्र संख्या-08 वी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 52 / 2020 / एफ0सी0 / 1650, दि0-28.10.2020
3. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्र संख्या-1430 / FP/UK/ROAD/38305/2020, दिनांक 17-11-2020
4. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्र संख्या-2635 / 12-1: देहरादून 29 अप्रैल, 2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नानुसार है:-

क्र0 सं0	शर्त	अनुपालन
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी	बिन्दु संख्या-01 की शर्त का अनुपालन मान्य है। सलग्नक (01)
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जायेगी।	बिन्दु संख्या-02 की शर्त का अनुपालन मान्य है। सलग्नक (02)
3	प्रतिपूरक वनीकरण: (क) वन विभाग द्वारा प्रयुक्त अभिकरण की लागत पर 3.63 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम कोठार सिविल खसरा नम्बर 112, 2293, 2484 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहाँ तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाये तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	वनभूमि स्थानान्तरण प्रस्ताव गठन के समय मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 1.8180 है0 वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी सिविल सोयम भूमि ग्राम कोठार सिविल खसरा न0 112 रकवा 1.959 है0, खसरा न0 2293 रकवा 0.358 है0 एवं खसरा न0 2484 रकवा 1.319 है0 कुल रकवा 3.636 है0 सिविल भूमि चयनित की गयी थी। सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त उक्त 3.636 है0 सिविल भूमि वन विभाग को उपलब्ध करवाने एवं वन विभाग के नाम नामान्तरित/इन्द्राजी करने हेतु वन विभाग एवं राजस्व विभाग के साथ कार्यस्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि खसरा न0 112 वन पंचायत स्वीकृत होने एवं खसरा न0 2393 एवं 2484 पृथक-पृथक एवं अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं है।

क्र० सं०	शर्त	अनुपालन
		क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु तहसील स्तरीय समिति के द्वारा ग्राम सभा कोटार खाता संख्या 31 के खसरा न० 2570 रकबा 6.337 के अन्तर्गत 3.636 है० सिविल भूमि वर्ग 9 (3) ड प्रस्तावित किया गया तदपश्चात उक्त भूमि 3.636 है० सिविल भूमि को जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के द्वारा वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/इन्द्राजी करने के आदेश निर्गत किये गये। उक्त भूमि पर राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग को कब्जा दिलवाया जा चुका है एवं वन विभाग के नाम सिविल भूमि नामान्तरित/इन्द्राजी की जा चुकी है (अमल दरामद की प्रति संलग्न)। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित की गयी नयी सिविल सोयम भूमी खसरा न० 2570 रकबा 3.636 है० की स्वीकृति एवं शुद्धिपत्र निर्गत करने हेतु प्रकरण भारत सरकार को प्रेषित किया गया, जिसमें भारत सरकार के द्वारा अवगत कराया गया कि चयनित सिविल भूमि के डी०एस०एस० विश्लेषण में 02 हे० एम०डी०एफ० क्षेत्र प्रदर्शित हो रहा है जिसमें 3600 पौधों को सामायोजित नहीं किया जा सकता है एवं पौधों को अन्य निग्रीकृत वनभूमि में लगाये जाने हेतु कार्ययोजना उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु एफ०सी० गाइड लाईन 2023 के अनुसार एम०डी०एफ० में पाये गये 02 है० के सापेक्ष 4.00 है० अवनत आरक्षित वनभूमि भिलंगना राजि० के सौड़ कक्ष संख्या-1 में चयनित किया गया है जो कि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।
	(ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों के प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित /संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	बिन्दु संख्या-03 (ख) की शर्त का अनुपालन हेतु गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/इन्द्राजी किया जा चुका है। गैर वानिकी भूमि को वन विभाग के द्वारा कब्जे में लिये जाने का प्रमाण पत्र एवं अमल दरामद मय नक्सा खसरे सहित संलग्न है। भूमि के नोटिफिकेशन की कार्यवाही वनविभाग के स्तर से गतिमान है।

क्र० सं०	शर्त	अनुपालन
	(ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया।	बिन्दु संख्या-03 (ग) की शर्त के अनुपालन में सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य न किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस सम्बन्ध में भारत के मा० उच्च न्यायालय के WP (C) संख्या-202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30-10-2002, 01-08-2003, 28-03-2008, 24-04-2008 एवं 09-05-2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक-5-1/1998-एफ०सी० (PT.2) दिनांक 18-09-2003, 5-2/2006-एफ०सी० दिनांक 03-10-2006 एवं 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.8180 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिये शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेंगी।	बिन्दु संख्या-4 (क) की शर्त के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या-8 बी/यू०सी०पी०/06/52/2020/एफ०सी०/1650 दिनांक 28-10-2020 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी० की निर्धारित धनराशि रु० 1194426.00 (ग्यारह लाख चौरानवे हजार चार सौ छब्बीस रुपये) जमा की जा चुकी है। चालान प्रति संलग्न है।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा० उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	बिन्दु संख्या-4 (ख) की शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है। शपथ पत्र संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 39 पेड़ों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सक्त पर्यवेक्षण में काटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	बिन्दु संख्या-5 की शर्त के अनुसार न्यूनतम प्रभावित 39 पेड़ों की कटाई की निर्धारित धनराशि रु० 813301.00 उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में जमा की जा चुकी है। संलग्नक (05)
6	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किया जायेगा।	बिन्दु संख्या-6 की शर्त की अनुपालन में ई-पोर्टल के माध्यम से वन विभाग के द्वारा निर्धारित की गयी धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा की जा चुकी है। चालान की छायाप्रति संलग्न है।
7	State govt.will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2.the state govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	बिन्दु संख्या-7 की शर्त का अनुपालन मान्य है।

क्र० सं०	शर्त	अनुपालन
8	एफ०आर०ए० 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला अधिकारी से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	बिन्दु संख्या-8 की शर्त का अनुपालन मान्य है। एफ०आर०ए० 2006 का पूर्ण अनुपालन जिलाधिकारी से निर्धारित प्रमाण पत्र पर संलग्न है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मापदण्डों के अनुसार सड़क के दोनो किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ायेगा।	बिन्दु संख्या-9 की शर्त का अनुपालन मान्य है। सलग्नक (09)
10	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियम साइनेज लगाये जायेंगे।	बिन्दु संख्या-10 की शर्त का अनुपालन मान्य है। सलग्नक (10)
11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो, प्राप्त करेगा।	बिन्दु संख्या-11 की शर्त का अनुपालन मान्य है। सलग्नक (11)
12	केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	बिन्दु संख्या-12 की शर्त का अनुपालन मान्य है। सलग्नक (12)
13	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	बिन्दु संख्या-13 की शर्त का अनुपालन मान्य है जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है। सलग्नक (13)
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषता वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	बिन्दु संख्या-14 की शर्त का अनुपालन मान्य है। सलग्नक (14)
15	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	बिन्दु संख्या-15 की शर्त का अनुपालन मान्य है। सलग्नक (15)
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	बिन्दु संख्या-16 की शर्त का अनुपालन मान्य है। सलग्नक (16)
17	वनभूमि का प्रयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	बिन्दु संख्या-17 की शर्त का अनुपालन मान्य है। सलग्नक (17)
18	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सीयों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	बिन्दु संख्या-18 की शर्त का अनुपालन मान्य है। सलग्नक (18)
19	इसमें किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशित फाईल संख्या-11-42/2017-एफ०सी० दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	बिन्दु संख्या-19 की शर्त का अनुपालन मान्य है। सलग्नक (19)
20	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण एवं विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	बिन्दु संख्या-20 की शर्त का अनुपालन मान्य है। सलग्नक (20)

क्र० सं०	शर्त	अनुपालन
21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वाविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे ना गिरे राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थल एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनायी जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इसका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	बिन्दु संख्या-21 की शर्त का अनुपालन मान्य है जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।
22	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो इनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त ऐजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	बिन्दु संख्या-22 की शर्त का अनुपालन मान्य है। संलग्नक (22)
23	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic.in) पर अपलोड की जायेगी।	बिन्दु संख्या-23 की शर्त का अनुपालन मान्य है।

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्तों की अनुपालन आख्या मय संलग्नकों के साथ अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



अधिशाली अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड-1,
नई टिहरी

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के किमी० 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8180 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38305/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।


अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के किमी० 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8180 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38305/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण में परियोजना के लिये आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जायेगी।

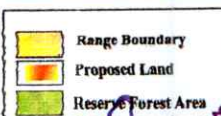
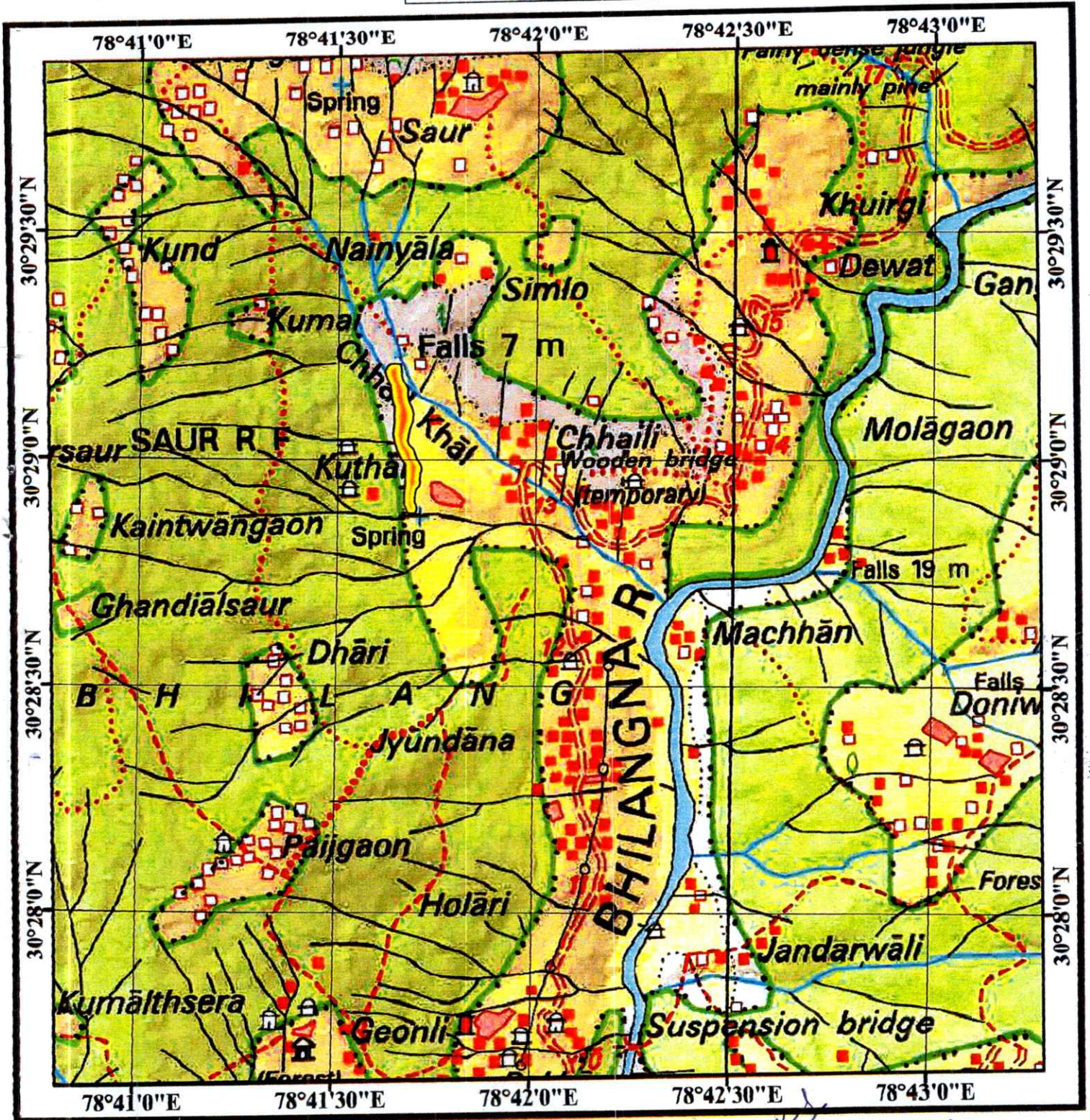
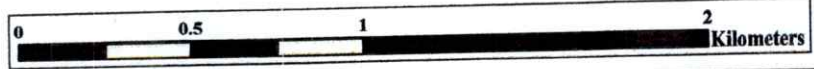

अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी

District- Tehri Garhwal Block- Bhilangana

घुत्तू मोटर मार्ग के किमी० १३ से कोठार गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण
हेतु वृक्षारोपण स्थल (३.६३ हे०)



अधिकासी अभियन्ता
P.M.G.S.Y.I.D.-1
वी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड-1
New Tehri

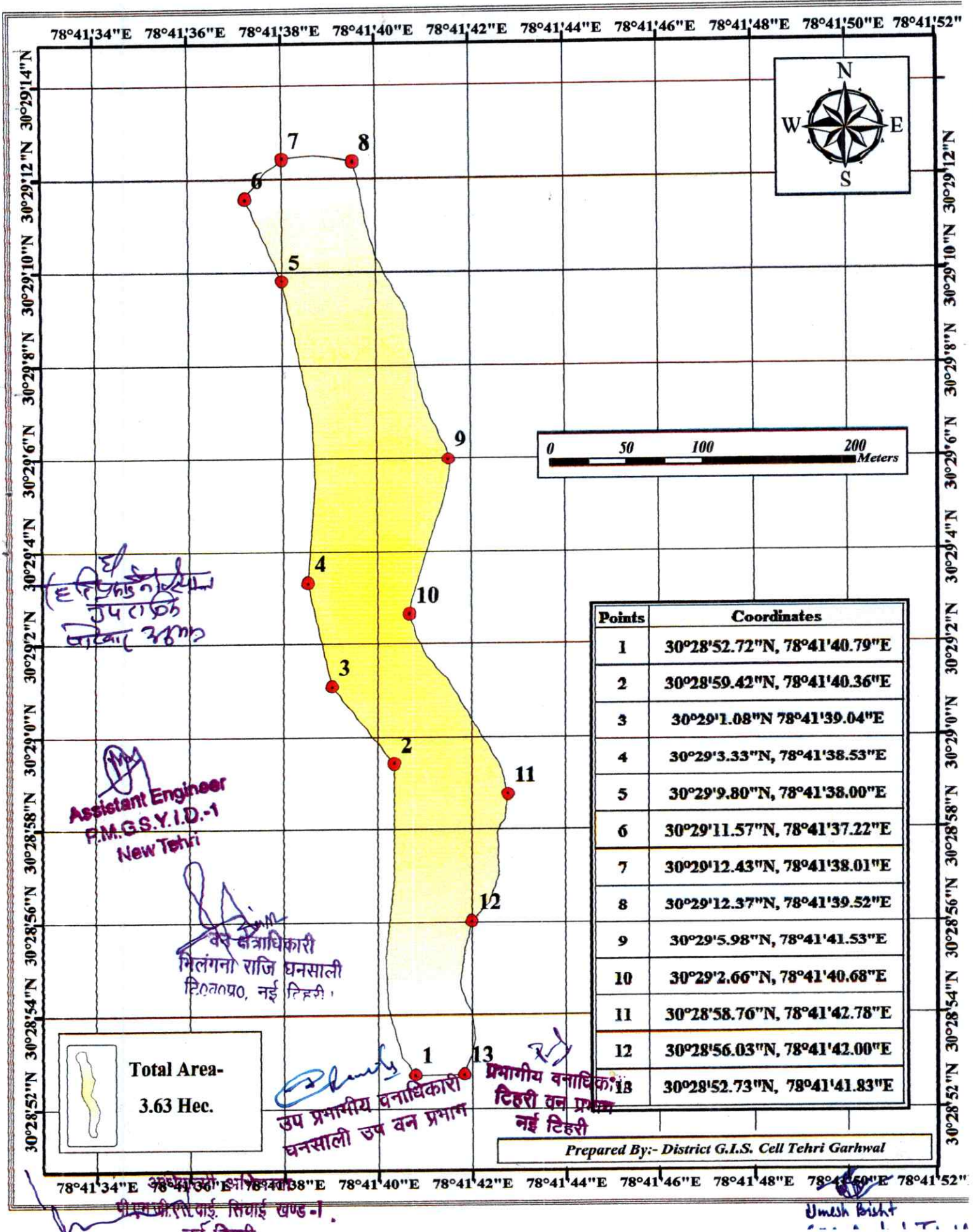
नई टिहरी

प्रमाणित वनाधिकारी
टिहरी वन प्रमाण
नई टिहरी
G.I.S. Analyst
G.I.S. Cell Tehri Garhwal.
उप-प्रमाणित वनाधिकारी
घनसांली उप-वन प्रमाण

वन क्षेत्राधिकारी
भिलंगना राजि घनसाली
टि०व०प्र०, नई टिहरी।

Georeferenced Map

जनपद टिहरी गढ़वाल के भिलंगना ब्लाक के अन्तर्गत घनसाली घुत्तू मोटर मार्ग के किमी० १३ से कोठार गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वृक्षारोपण स्थल (३.६३ हे०)



स्थल उपयोगिता प्रमाण-पत्र

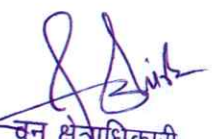
परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के किमी 0 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8180 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38305/2019)

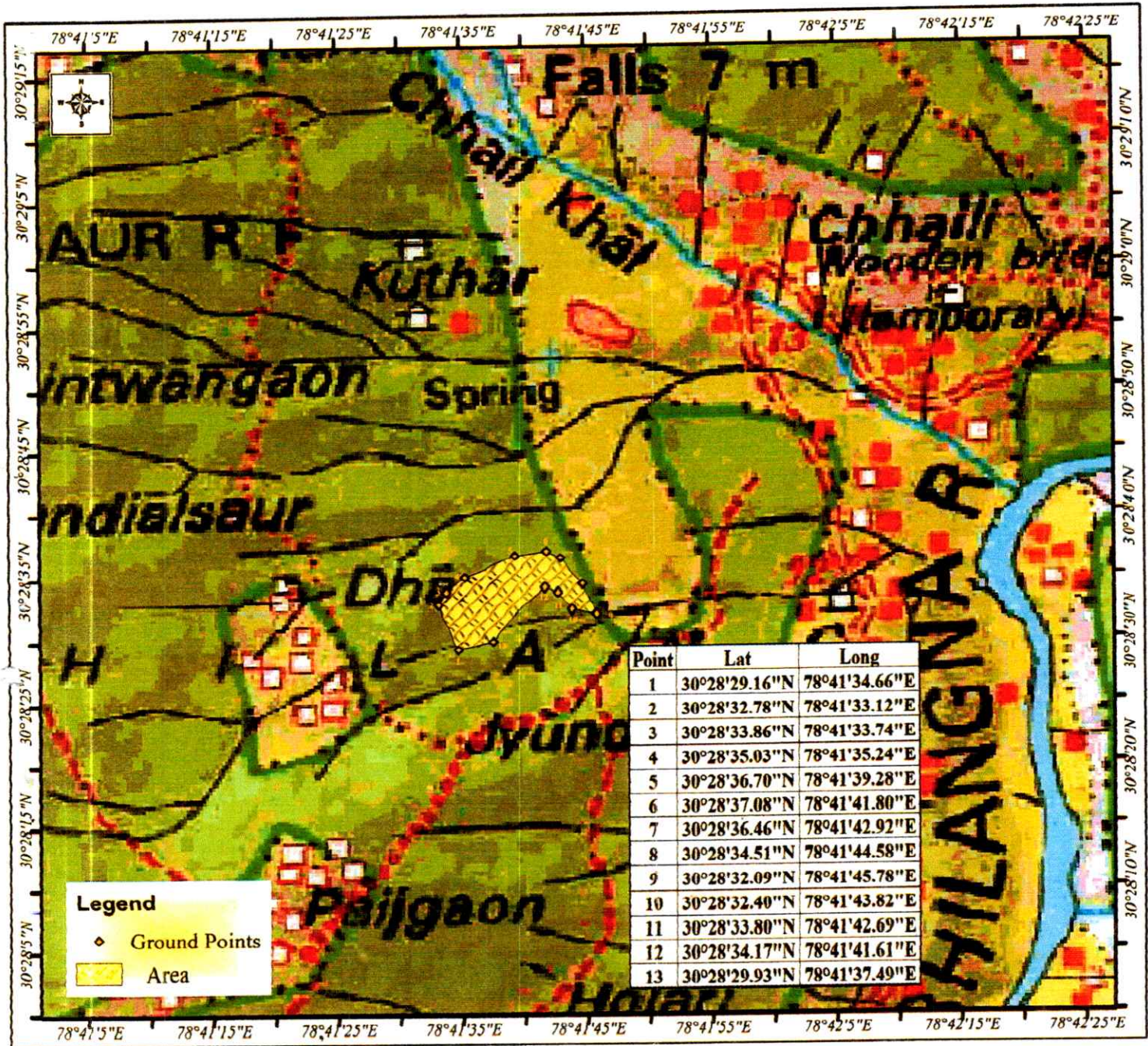
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड भिलंगना घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के किमी 0 13 से कोठारगांव मोटर मार्ग (स्टेज-प्रथम) के कार्य हेतु 1.8180 है० भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम सभा कोठार खाता संख्या 31 के खसरा नम्बर 2570 रकवा 3.636 है० सिविल भूमि वर्ग 9 (3) इ क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी एवं ग्रामीण काश्तकारों का कब्जा/कृषि कार्य नहीं है। चयनित भूमि को इससे पूर्व किसी अन्य विभाग/योजना में वनसंरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया है एवं स्थल अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गयी है। चयनित भूमि का अमल दरामद वन विभाग के पक्ष में हो चुका है एवं चयनित भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया गया है।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित स्थल सर्वदा उपर्युक्त है।


 प्रभागाध्यक्ष वनाधिकारी
 टिहरी वन प्रभाग
 नई टिहरी


 वन क्षेत्राधिकारी
 भिलंगना राजि घनसाली
 टि० व० प्र०, नई टिहरी।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के अंतर्गत घनसाली-घुतु मोटर मार्ग के कि०मी०-13 से कोठार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल (04 हेक्टेयर) का मानचित्र (Degraded Reserve Forest Compt.No-01 Saur Bhilangana Range, Tehri Garhwal)



Prepared By:-

(Umesh Bisht)

G.I.S. Analyst, Tehri Garhwal.
(Year-2024)

अधीनस्थ अधिकारी
भिलंगना राजि, घनसाली
टिहरी वन प्रभाग

अधीनस्थ अधिकारी
P.M.G.S.V.I.D.-1
New Tehri

अधीनस्थ अधिकारी
पी.एम.जी.एस.वाई. सिस्टम खण्ड-1
नई टिहरी

अधीनस्थ अधिकारी
भिलंगना राजि, घनसाली
टिहरी वन प्रभाग

अधीनस्थ अधिकारी
उपराजि
कोठार 3-8-2023

अधीनस्थ अधिकारी
उप प्रभागीय वनाधिकारी
घनसाली उप वन प्रभाग

अधीनस्थ अधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

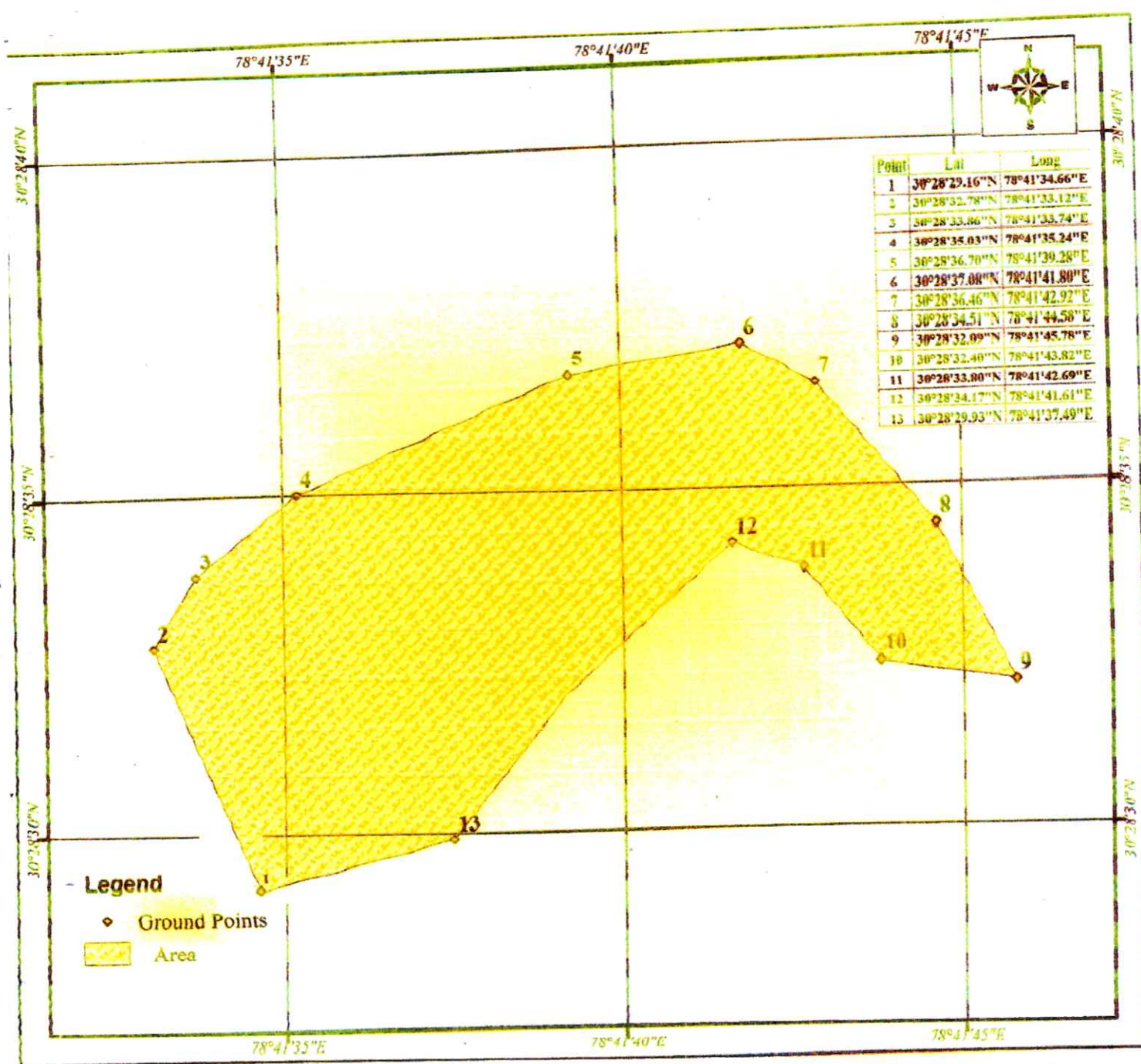
अधीनस्थ अधिकारी
भिलंगना राजि, घनसाली
टिहरी वन प्रभाग

अधीनस्थ अधिकारी
उपराजि
कोठार 3-8-2023

अधीनस्थ अधिकारी
उप प्रभागीय वनाधिकारी
घनसाली उप वन प्रभाग

अधीनस्थ अधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना के अंतर्गत घनसाली-घुत्तु मोटर मार्ग के कि०मी०-13 से कोठार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल (04 हेक्टेयर) का मानचित्र
(Degraded Reserve Forest Compt.No-01 Saur Bhilangana Range, Tehri Garhwal)



0 0.0375 0.075 0.15 0.225 Kilometers

Prepared By:-
(Umesh Bisht)
G.I.S. Analyst, Tehri Garhwal
(Year-2024)

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y.I.D.-1
New Tehri

अधिशारक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड -1
नई टिहरी

वन क्षेत्राधिकारी
भिलंगना राजि, घनसाली
टिहरी वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
घनसाली उप वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
घनसाली उप वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

स्थल उपयोगिता प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के किमी० 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8180 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38305/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड भिलंगना घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के किमी० 13 से कोठारगांव मोटर मार्ग (स्टेज-प्रथम) के कार्य हेतु 1.8180 है० भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम सभा कोठार खाता संख्या 31 के खसरा नम्बर 2570 रकवा 3.636 है० सिविल भूमि वर्ग 9 (3) ड के डी०एस०एस० विश्लेषण में पाये गये 2.00 है० एम०डी०एफ० के सापेक्ष 4.00 है० अवनत आरक्षित वन भूमि भिलंगना राजि० के सौड कक्ष संख्या 01 में वृक्षारोपण हेतु चयनित की गयी है। उक्त स्थल क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित उक्त स्थल में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी एवं ग्रामीण काश्तकारों का कब्जा/कृषि कार्य नहीं है। चयनित भूमि को इससे पूर्व किसी अन्य विभाग/योजना में वनसंरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया है एवं स्थल अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गयी है।

प्रभागाय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

वन क्षेत्राधिकारी
भिलंगना राजि घनसाली
टि०च०प्र०, नई टिहरी।



कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी, भिलंगना राजि, घनसाली।

पत्रांक सं० : /12-1 घनसाली, दिनांक 23 /07/2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, सि0ख0-1,
नई टिहरी।

विषय:- जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली-घुत्तू मोटर मार्ग के कि०मी० 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8180 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी का पत्रांक सं० 3789/12-1 दिनांक 25.06.2024।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक कम में अवगत कराना है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली-घुत्तू मोटर मार्ग के कि०मी० 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल FC Guideline 2023 के अनुसार MDF में पाये गये 02.00 हेक्टेयर के सापेक्ष 04.00 हेक्टेयर अवनत आरक्षित वन भूमि सौड क० सं० 1 को चयनित किया गया है जोकि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

वृक्षारोपण हेतु चयनित अवनत आरक्षित वन भूमि सौड क० सं० 1 का के०एम०एल० फाईल, स्थल की जी०पी०एस० कॉर्डिनेट्स मानचित्र व उपयुक्तता प्रमाण-पत्र संलग्नानुसार प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

वन क्षेत्राधिकारी
भिलंगना राजि घनसाली
टि०व०प्र०, नई टिहरी।

संख्या:-41...../12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी की सेवा में सूचनार्थ सादर प्रेषित।

L-7.
का.प्र.प्र.प्र.
29/7

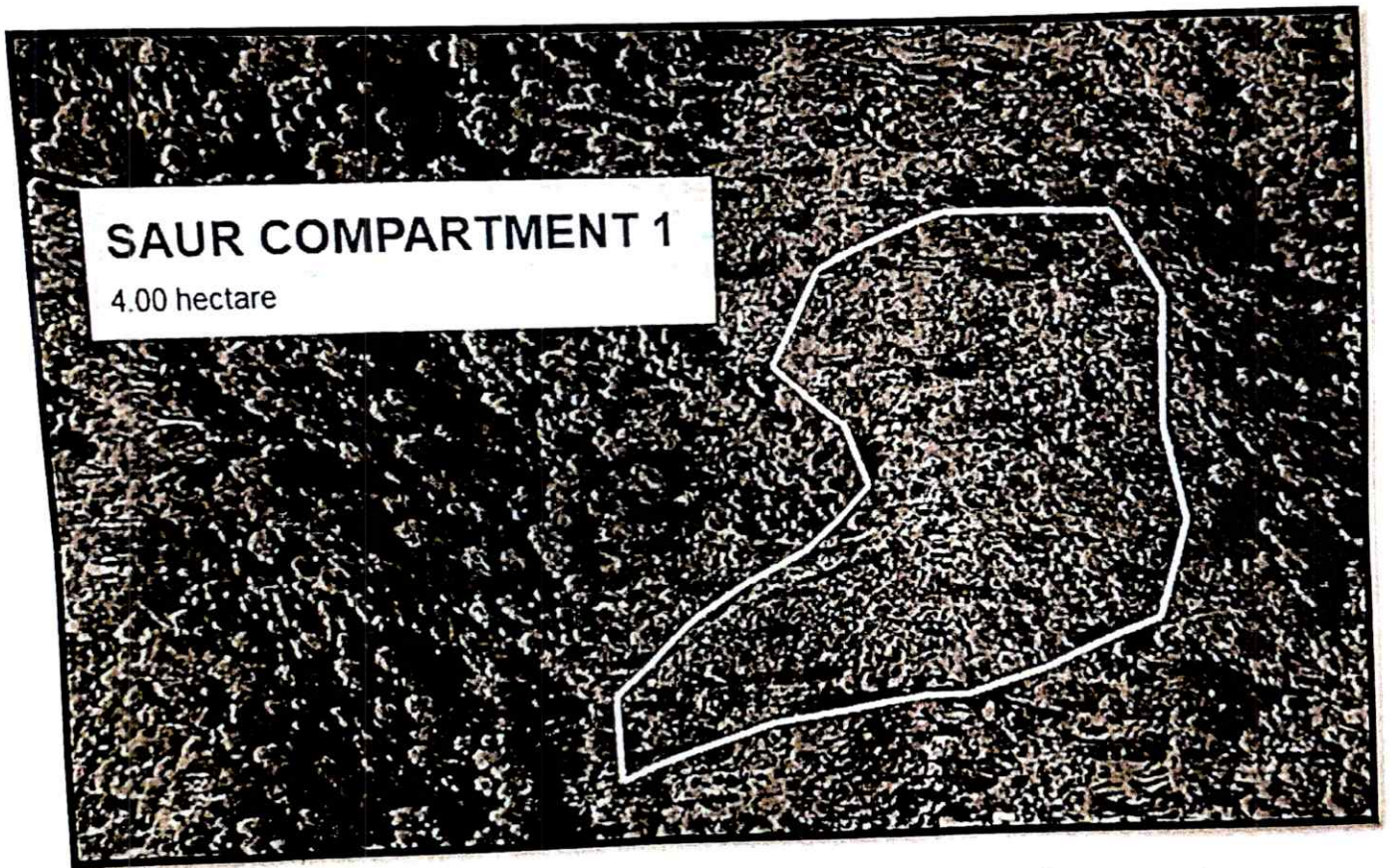
वन क्षेत्राधिकारी
भिलंगना राजि घनसाली
टि०व०प्र०, नई टिहरी।

प्रस्ताव का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड भिलंगना में घनसाली-घुत्तू मोटर मार्ग के कि०मी० 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8180 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल FC Guideline 2023 के अनुसार MDF में पाये गये 02 हे० के सापेक्ष चयनित 04 हे० अवनत आरक्षित वन भूमि का विवरण

स्थल का नाम:- सौड क० सं० 1

जी०पी०एस० कॉर्डिनेट्स- N30°28'35.18" E78°41'40.58"



वन क्षेत्राधिकारी
भिलंगना राजि घनसाली
टि० व० प्र०, नई टिहरी।

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

स्ताव का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड भिलंगना में घनसाली-घुत्तू मोटर मार्ग के कि०मी० 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8180हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड भिलंगना में घनसाली-घुत्तू मोटर मार्ग के कि०मी० 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल FC Guideline 2023 के अनुसार MDF में पाये गये 02.00हेक्टेयर के सापेक्ष 04.00हेक्टेयर अवनत आरक्षित वन भूमि सौड क०सं० 1 को चयनित किया गया है जोकि वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।


वन क्षेत्राधिकारी
भिलंगना राजि घनसाली
टि०व०प्र०, नई टिहरी।


प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

परियोजना में चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का 2.00 हे० MDF पाये जाने के कम में FC Guideline के अनुसार 2.00हे० के सापेक्ष 4.00हे० अवनत आरक्षित वनभूमि पर 2000 पौधों के वृक्षारोपण का प्रावकलन।

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड भिलंगना में घनसाली-घुत्तू मोटर मार्ग के कि०मी० 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8180 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

वन प्रभाग का नाम:- टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी

वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल:- अवनत आरक्षित वन भूमि, सौड क०सं०- 1, भिलंगना रेंज।

चयनित वृक्षारोपण स्थल का क्षेत्रफल:- 4.00हे० (रोपित की जाने वाली पौधों की संख्या - 2000पौध)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन करना।	1.00	Ha.	741.00	741.00
2	क्षेत्र में झाड़ी कटान (जड़ सहित उखाड़ना एवं नष्ट करना)	1.00	Ha.	8138.00	8138.00
3	दिवाल बन्दी (94.50 घनमी०)	1.00	Ha.	83662.00	83662.00
4	वनीकरण के सम्पूर्ण परिधि में जैविक घेरबाड़	1.00	Ha.	6329.34	6329.34
5	गड्ढों का संरेखण एवं चिन्हीकरण	500.00	No.	0.91	455.00
6	गड्ढे खुदान (30cm x 30cm x 45cm)	500.00	No.	16.90	8450.00
7	स्टैगर्ड कन्टूर फरों का संरेखण एवं चिन्हीकरण	100.00	No.	1.78	178.00
8	स्टैगर्ड कन्टूर फरों का खुदान कार्य (3.00m x 0.45m x 0.30m)	100.00	No.	171.59	17159.00
7	पौधों की कीमत	500.00	No.	23.30	11650.00
8	निरीक्षण बटिया	1.00	Ha.	1639.30	1639.30
9	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य	1.00	Ha.	L.S	168000.00
10	वनीकरण क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था	1.00	Ha.	L.S	50000.00
11	अन्य आकस्मिक व्यय	1.00	Ha.	1497.60	1497.60
योग प्रथम चरण:-					357899.24
द्वितीय चरण					
क्र०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	पौधों का रखरखाव 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित (द्वितीय वर्ष)	500.00	No.	5.60	2800.00
2	पौध का ढुलान मय 10 प्रतिशत ढुलान में क्षतिपूर्ति सहित बैग पौध, लदाई व उतराई सहित	500.00	No.	17.78	8890.00
3	कंकड़ पत्थर छानकर गड्ढों का खाद/कीटनाशक मिलाकर	500.00	No.	3.06	1530.00
4	पौध रोपण करना अच्छी प्रकार दबाना, अच्छी प्रकार थावला बनाना व रोपण क्षेत्र के अन्दर ढुलान सहित।	500.00	No.	5.75	2875.00
5	गड्ढों में रासायनिक खाद 20 ग्राम प्रति गड्ढा/कीटनाशक	500.00	No.	2.02	1010.00
6	गिराई गुड़ाई व मल्लिग होईग प्रथम व द्वितीय	500.00	No.	14.06	7030.00
7	रखरखाव रोपण वर्ष में 7 माह एक श्रमिक कम से कम 10हे० क्षेत्र को आधार मानकर	1.00	Per ha.	12855.00	12855.00

8	अग्नि सुरक्षा कार्य	1.00	Per ha.	1023.03	1023.03
9	अन्य प्रकीर्ण व्यय	1.00	Ha.	4000.00	4000.00
योग द्वितीय वर्ष -					42013.03
तृतीय चरण					
क्र०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष का रखरखाव 12 माह हेतु (1श्रमिक कम से कम 10 हे० क्षेत्र को आधार मानकर)	1.00	Per ha.	12855.00	15426.00
2	निराई गुड़ाई व मल्विंग कार्य	500.00	No.	2.28	1140.00
3	क्षतिपूरक रोपण 10 प्रतिशत उपलब्ध शासनादेशों के आधार पर अनुमन्यता होने की स्थिति में।				
i	पौध की कीमत	200.00	No.	30.12	6024.00
ii	पौध का ढुलान	200.00	No.	17.78	3556.00
4	अग्नि सुरक्षा कार्य	1.00	Per ha.	1023.03	1023.03
योग -					27169.03
चतुर्थ चरण					
क्र०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष का रखरखाव 12 माह हेतु (1श्रमिक कम से कम 10 हे० क्षेत्र को आधार मानकर)	1.00	Per ha.	12855.00	15426.00
2	निराई गुड़ाई व मल्विंग कार्य	500.00	No.	2.28	1140.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य	1.00	Per ha.	1023.03	1023.03
योग -					17589.03
पंचम वर्ष					
क्र०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष का रखरखाव 12 माह हेतु (1श्रमिक कम से कम 10 हे० क्षेत्र को आधार मानकर)	1.00	Per ha.	12855.00	15426.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1.00	Per ha.	1023.03	1023.03
योग -					16449.03
षष्ठम वर्ष					
क्र०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष का रखरखाव 12 माह हेतु (1श्रमिक कम से कम 10 हे० क्षेत्र को आधार मानकर)	1.00	Per ha.	12855.00	15426.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1.00	Per ha.	1023.03	1023.03
योग -					16449.03
सप्तम वर्ष					
क्र०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष का रखरखाव 12 माह हेतु (1श्रमिक कम से कम 10 हे० क्षेत्र को आधार मानकर)	1.00	Per ha.	12855.00	15426.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1.00	Per ha.	1023.03	1023.03
योग -					16449.03

अष्टम वर्ष					
क्र०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष का रखरखाव 12 गाह हेतु (1श्रमिक कम से कम 10 हे० क्षेत्र को आधार मानकर)	1.00	Per ha.	12855.00	15426.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1.00	Per ha.	1023.03	1023.03
				योग -	16449.03
नवम वर्ष					
क्र०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष का रखरखाव 12 गाह हेतु (1श्रमिक कम से कम 10 हे० क्षेत्र को आधार मानकर)	1.00	Per ha.	12855.00	15426.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1.00	Per ha.	1023.03	1023.03
				योग -	16449.03
दशम वर्ष					
क्र०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष का रखरखाव 12 गाह हेतु (1श्रमिक कम से कम 10 हे० क्षेत्र को आधार मानकर)	1.00	Per ha.	12855.00	15426.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1.00	Per ha.	1023.03	1023.03
				योग -	16449.03
				कुल योग (प्रथम चरण से दशम चरण):-	543364.51
				या-	543037.00
	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दर प्रति हे० (वर्ष 2025-26)			543037.00	
	अवनत वन में वृक्षारोपण हेतु अपेक्षित भूमि	4.00	हे०		
	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अपेक्षित धनराशि	4.00	हे० X 543037.00		
	कुल योग रू० :-				र 21,72,148.00


 वन क्षेत्राधिकारी
 भलंगना राशि - धनसाली
 दे० व० प्र० नई दिल्ली


 प्रभागीय वनाधिकारी
 प्रभागीय वनाधिकारी
 दे० व० प्र० नई दिल्ली

आदेश:-

भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र सं० 08वीं/यू०सी०पी०/०६/५२/२०२०/एफ०सी०/१६५० दिनांक २८.१०.२०२० के द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड भिलंगना में घनसाली-धुत्तु मोटर मार्ग के कि०मी० १३ से कोठार गांव(प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु १.८१८० हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की रौढ़ान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। जिराकी शर्त सं० ०३(क) में उल्लेख किया गया है कि वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर ३.६३६ हे० गैर वानिकी भूमि ग्राम कोठार के सिविल खसरा न० ११२.२२९३.२४८४.११२ में प्रतिपूरक बनीकरण किया जाएगा।

उक्त के कम इस कार्यालय के पत्र सं० ७७९/४१-ए०एल०सी०-२(२०१८-१९)दिनांक १५.०२.२०२१ के द्वारा उपजिलाधिकारी घनसाली को प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेषित किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी घनसाली द्वारा अपने पत्र सं० मेमो/र०का०प्र०म०ग्रा०स०यो०/२०१७/ दिनांक २६.०६.२०२१ में उल्लेख किया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पूर्व में तहसील स्तरीय समिति द्वारा ग्राम कोठार के ज०वि०र० खतौनी खाता सं० ३१ उत्तराखण्ड सरकार वर्ग ९(३)ड में दर्ज खसरा सं० ११२ रक्बा १.९५९.खसरा सं० २२९३ रक्बा ०.३५८, खसरा न० २४८४ रक्बा १.३१९ कुल रक्बा ३.६३६ हे० सिविल भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था किन्तु खसरा न० ११२ वन पंचायत हेतु स्वीकृत होने के कारण खसरा न० २२९३.२४८४ दूर होने से कार्य करने में असुविधा होगी। तहसील स्तरीय समिति के द्वारा संशोधित जांच आख्या में खतौनी खाता सं० ३१ के खसरा न० २५७० रक्बा ६.३३७ हे० मध्ये ३.६३६ हे० प्रस्तावित किया गया है। तहसील स्तरीय समिति की संयुक्त जांच आख्यानुसार प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा सं०	अर्जित रक्बा (हे०)	भूमि की किस्म
१	२	३	४	५	६
कोठार	भिलंग	३१	२५७०म०	३.६३६	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग ९(३)ड
				३.६३६हे०	

प्रस्तावित घनसाली-धुत्तु मोटर मार्ग के कि०मी० १३ से कोठार गांव(प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-२८८२/४४४४(४४)/११-१८(१२०)/२०१० राजस्व अनुभाग-२ दिनांक ११ नवम्बर २०११ एवं शासनादेश संख्या-२३६५/४४४४(४४)/१३-१८ (१२०)/२०१० टी०सी० दिनांक १४ अक्टूबर २०१३ के द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा० उच्चतम न्यायालय/मा० उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव शासनादेश संख्या-२१७३/४४४४(४४)/२०१२-१८(१२०)/२०१० राजस्व अनुभाग-२ दिनांक १७ दिसम्बर २०१२ के क्रम में उप जिलाधिकारी घनसाली के द्वारा प्रस्तावित किये गये उपरोक्त खसरा नम्बरान मध्ये कुल रक्बा ३.६३६ हे० सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलाोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाती है। तहसीलदार घनसाली तत्काल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित/इन्दाजी करना सुनिश्चित करे।

(इवा आशीष श्रीवास्तव)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या-५५४/४१-ए०एल०सी०-२(२०२०-२१)दिनांक, नई टिहरी, सितम्बर, २१, २०२१।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

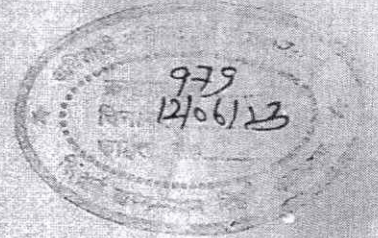
- १- सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- २- आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- ३- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- ४- नोडल अधिकारी, वन भूमि हस्तान्तरण, वन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- ५- प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
- ६- अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई, सिंचाई खण्ड-प्रथम, नई टिहरी
- ७- उप जिलाधिकारी घनसाली।
- ८- तहसीलदार घनसाली को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

प्रषंक,

तहसीलदार,
घनसाली।

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0-प्रथम
नई टिहरी।

संख्या- 586/र0का0 (व0भू0हस्ता0) 2023 दिनांक घनसाली जून 06, 2023

विषय- जनपद-टिहरी गढ़वाल के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली घुत्तू मोटर मार्ग के किमी0-13 से कोठार गाँव स्टेज-प्रथम) मोटरस मार्ग के निर्माण हेतु 1.818 हे0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण किये जाने के संबंध में क्षतिपूर्ति वृक्षा रोपण हेतु 3.636हे0 भूमि वन विभाग के नाम नामान्तरित/इन्द्राजी करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन विभाग पत्र संख्या-1629/12-1 नई टिहरी, दिनांक 07.01.2023 के संबंध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदय के आदेश संख्या-554/XI-ALC (2020-21) दिनांक, नई टिहरी सितम्बर 21, 2021 के अनुपालन में क्षतिपूर्ति वृक्षा रोपण हेतु राजस्व ग्राम कोठार, भिलंग की हाल खतौनी खाता संख्या-31 खसरा सं0-2570 म0 रक्वा 3.636 हे0 उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग 9(3)ड की भूमि वन विभाग के नाम भू-अभिलेख ज0वि0र0 खतौनी में दर्ज किया गया है। उक्त भूमि के संबंध में राजस्व उप निरीक्षक धोपड़धार/देवठ द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 24.05.2023 से अवगत कराया गया है कि उक्त भूमि को इससे पूर्व किसी अन्य विभाग/योजना में वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया है। भूमि का नक्शा एवं नकल खतौनी मय रिपोर्ट के प्रेषित है।

अतः उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने बावत सूचना सादर सम्प्रेषित।
संलग्न-यथोपरि। (फाल म)

तहसीलदार
घनसाली
टिहरी गढ़वाल

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-जिलाधिकारी महोदय, टिहरी गढ़वाल।
- 2-प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
- 3-उप जिलाधिकारी महोदय, घनसाली।
- 4-वन क्षेत्राधिकारी, भिलंगना।

Photo Copy Attested

23-05-2025

तहसीलदार,
घनसाली।

सेवा में

— श्रीमान नरसीलाल मलिक
नरसील धनसाली - दि. 20/

विषय: क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु सिविल ग्राम उपखण्ड करापा-
जाने का प्रमाण-पत्र।

महोदय,

जिलाधिकारी महोदय जिला गढ़वाल के पलांकीक्षेत्र
सं० 554/XI - MLC-II (2020-2021) दिनांक: 08 जून 2021
21-2021, में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित राजस्व ग्राम-कोटाल
पट्टी भिलंग के खत सं०-31, खसत सं०-2570 में खसत
उ-636 हेतु उत्तरवर्षा सखार की 9.75 की भूमि वन
विभाग के पत्र में हस्तान्तरण की गई है जिससे दिनांक
24-05-2022 को जल संयंत्र खसती में दर्ज कर मफल
खसती जारी की गई है। उक्त भूमि किसी अन्य योजना
में सम्पदा प्रत्यक्षण के हस्तगत पूर्व में कोई भी उत्तरव
गठित नहीं है।

— डा. जिला सेवा में जिला/

Ainech
24/05/2023

रा. डा. 100 804581/दि. 6
नरसील - धनसाली दि. 20/

Photo Copy Attested

23-05-2025

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी, भिलंगना राजि, घनसाली।

पत्रांक सं० : 294 / 12-1

घनसाली

दिनांक - 01 / 12 / 2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

विषय:-

जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड भिलंगना में घनसाली घुल्लू मोटर मार्ग के कि०मी० 13 के कोठार गांव स्टेज प्रथम मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.180 हे० वन भूमि के सापेक्ष 3.360 हे० सिविल भूमि का हस्तान्तरण हेतु अमल दरामद के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

आपके पत्रांक सं० 1629 / 12-1 दिनांक 07.01.2023 एवं 783 / 12-1 दिनांक 29.08.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र क्रम में निवेदन करना है कि इस राजि के अन्तर्गत उपरोक्त मोटर मार्ग हेतु वन भूमि के सापेक्ष दुगनी सिविल भूमि जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल द्वारा ग्राम कोठार, पट्टी भिलंग के खाता सं० 31 के खसरा सं० 2570म के अनुसार याचिका रक्वा हे० 6.337हे० मध्ये 3.636हे० है। भूमि की किस्म उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड की अमल दरामद हेतु स्थलीय निरीक्षण श्री विजयपाल सिंह राणा, वन दरोगा, पोखार अनुभाग क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक देवठ व श्री राजेन्द्र कुमार शाल, वन आरक्षी गेंवली बीट के साथ दिनांक 12.07.2023 को किया गया व उक्त भूमि को कब्जे में लिया गया एवं राजस्व उप निरीक्षक देवठ द्वारा मौके पर नक्शा, खसरा मय अमल दरामद किया गया, जिसका विवरण खसरा नम्बर मय रक्वे सहित निम्न प्रकार से है-

क्र०सं०	ग्राम	खसरा सं०	रक्वा हे०
1	ग्राम कोठार, पट्टी भिलंग तहसील घनसाली टिहरी गढ़वाल	2570म	6.337हे० मध्ये 3.636हे०

अतः सूचना महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नक:- नक्शा, खसरा मय अमल दरामद - 04 प्रतियों में।

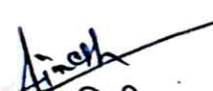
भवदीय,

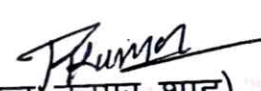

जिलाधिकारी
भिलंगना राजि, घनसाली
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी

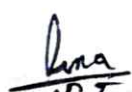
L.T.
अधिका. 05/12

अमल दरामद भूमि कब्जे में लेने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड भिलंगना में घनसाली-घुत्तू मोटर मार्ग के कि०मी० 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8180 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप जिलाधिकारी टिहरी के आदेश सं०-554/XI ALC(2020-21) दिनांक नई टिहरी, सितम्बर 21, 2021 से जारी निर्देश के क्रम में हस्तान्तरण अमल दरामद 3.636 है० चिन्हित भूमि जो खाता सं० 31 के खसरा सं० 2570म के अनुसार याचिका रक्वा (है०) क्रमश 6.337 है० मध्ये 3.636 है० है, राजि अधिकारी भिलंगना द्वारा अपने कब्जे में ले ली गयी है, जिसके फलस्वरूप उक्त प्रमाण पत्र जारी किया गया है।


राजस्व उपनिरीक्षक
राजस्व एवं निरीक्षक
क्षेत्र-घाटिगढ़, टिहरी
तहसील-घाटिगढ़
टिहरी गढ़वाल


(राजेन्द्र कुमार शाह)
वन बीट अधिकारी
गेंवली बीट


(विजयपाल सिंह राणा)
वन दरोगा
पोखार अनुभाग



वन क्षेत्राधिकारी
भिलंगना राजि, घनसाली
टिहरी वन प्रभाग

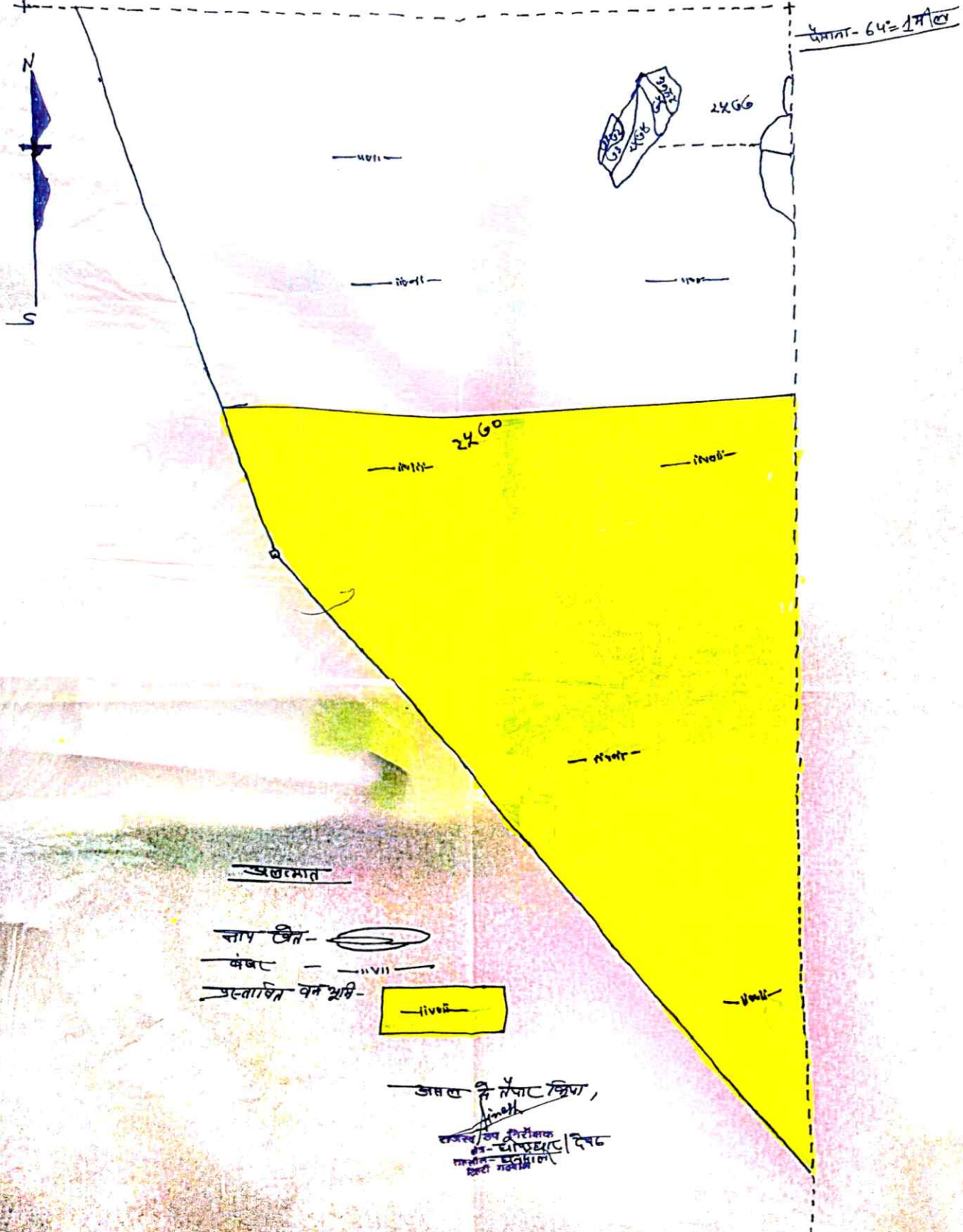
प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम कोठार पट्टी भिलंग में खतौनी सं० 31 के खसरा सं० 2570 रकबा 6.337 है० मध्ये 3.636 है० भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किया जा रहा है। उक्त भूमि को किसी अन्य योजना में अथवा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया है।

Ameh
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र-घाटप्रसाद
तहसील-बिहारी
दिल्ली गवर्णमेन्ट

सोला नगरपालिका गाउँपालिका पट्टी भित्रिने तहसील-चनारी जिल्ला-सुनसरी गढवाल,

मोटर बाटो
1816
प्रमाण
आकार
रकबा
रकबा
रकबा



अवस्थिति

सापेक्ष

वर्णन

प्रस्तावित वन भूखण्ड

अवस्थिति

अवस्थिति

सुनसरी जिल्ला
चनारी तहसील
सोला नगरपालिका

प्रमाण-पत्र

संलग्नक 3 (3D) -1

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के किमी 0 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8180 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38305/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम सभा कोठार खाता संख्या 31 के खसरा नम्बर 2570 रकवा 3.636 है० सिविल भूमि वर्ग 9 (3) ड में पूर्व में किसी अन्य योजना से वृक्षारोपण नहीं किया गया है और ना ही प्रस्तावित है।


प्रभागिय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी


वन क्षेत्राधिकारी
भिलंगना राजि घनसाली
टि०व०प्र०, नई टिहरी।

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के किमी० 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8180 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38305/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम सभा कोठार खाता संख्या 31 के खसरा नम्बर 2570 रकबा 3.636 है० सिविल भूमि वर्ग 9 (3) ड के डी०एस०एस० विश्लेषण में पाये गये 2.00 है० एम०डी०एफ० के सापेक्ष 4.00 है० अवनत आरक्षित वन भूमि भिलंगना राजि० के सौड कक्ष संख्या 01 में वृक्षारोपण हेतु चयनित की गयी है। चयनित अवनत आरक्षित वन भूमि में पूर्व में किसी अन्य योजना से वृक्षारोपण नहीं किया गया है और ना ही प्रस्तावित है।


प्रभागिय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी


वन क्षेत्राधिकारी
भिलंगना राजि घनसाली
टि०ब०प्र०, नई टिहरी।

संलग्न 4 (क)

संलग्न 4 (क)

380

BANK COPY

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 28-12-2020

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	EEPMSGYTEHRI
PIF/Application No.	6138305723
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/52/2020/FC
Address.	EE PMGSY III NEW TEHRITehri Garhwal
Remitter Contact No.	eepmgsy3tehr@gmail.com
Email-Id.	9411137521
Mobile No.	1376-232160
Landline No.	24204271-
Amount(In Rs)	24204271-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0371)

Amount In Words : Twenty-Four Lakh Twenty Thousand Four Hundred and Twenty-Seven Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number

Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

CAMPA-MOEF Copy

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 28-12-2020

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	EEPMSGYTEHRI
PIF/Application No.	6138305723
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/52/2020/FC
Address.	EE PMGSY III NEW TEHRITehri Garhwal
Remitter Contact No.	eepmgsy3tehr@gmail.com
Email-Id.	9411137521
Mobile No.	1376-232160
Landline No.	24204271-
Amount(In Rs)	24204271-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0371)

Amount In Words : Twenty-Four Lakh Twenty Thousand Four Hundred and Twenty-Seven Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number

Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

AGENCY COPY

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 28-12-2020

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	EEPMSGYTEHRI
PIF/Application No.	6138305723
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/52/2020/FC
Address.	EE PMGSY III NEW TEHRI Tehri Garhwal
Remitter Contact No.	eepmgsy3tehr@gmail.com
Email-Id.	9411137521
Mobile No.	1376-232160
Landline No.	24204271-
Amount(In Rs)	24204271-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0371)

Amount In Words : Twenty-Four Lakh Twenty Thousand Four Hundred and Twenty-Seven Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number

Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

Photo Copy Attested

23.05.2025

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y.
Irrigation Division-I
New Tehri

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

वन विभाग की मांग के अनुसार प्रतिपूक वृक्षारोपण की धनशक्ति Rs. 12,26,001.00
वन विभाग की मांग के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (सन 01.01.20) Rs. 11,94,426.00
Total Rs. 24,20,427.00

संलग्न 4 (क)



सत्यमेव जयते



IN-UK90997718768433X

संलग्नक 4(ख)-1

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

₹10

e-Stamp

Certificate No.

Certificate Issued Date

Account Reference

Unique Doc. Reference

Purchased by

Description of Document

Property Description

Consideration Price (Rs.)

First Party

Second Party

Stamp Duty Paid By

Stamp Duty Amount(Rs.)

: IN-UK90997718768433X
: 09-May-2025 12:24 PM
: NONACC (SV)/ uk1241504/ TEHRI/ UK-TG
: SUBIN-UKUK124150489381618217717X
: E E P M G S Y I D FIRST NEW TEHRI
: Article 4 Affidavit
: NA
: 0
(Zero)
: E E P M G S Y I D FIRST NEW TEHRI
: E E P M G S Y I D FIRST NEW TEHRI
: E E P M G S Y I D FIRST NEW TEHRI
: 10
(Ten only)

सत्यमेव जयते



₹10

अधिकासी अभियन्ता

पी.एम.जी.एस.वाई, सिंगीई खण्ड-1
नई दिल्ली

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.sholestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

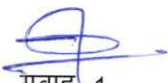
समक्ष-सक्षम अधिकारी

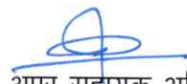
शपथ-पत्र

मैं के अधिशासी अभियन्ता पी.एम.जी.एस.वाई सिंचाई खण्ड प्रथम नई टिहरी जिला टिहरी गढवाल ईश्वर को साक्षी मानकर निम्न बयान शपथपूर्वक करता हूँ।

- 1- यह कि शपथकर्ता का पद एवं पता सत्य व सही है।
- 2- यह कि शपथकर्ता के विभाग अधिनस्थ जनपद टिहरी गढवाल में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड भिलंगना में धनसाली-घुत्तू मोटर मार्ग के किमी0-13 से कोठारगांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग फेज-XIX में स्वीकृत है।
- 3- यह कि धनसाली-घुत्तू मोटर मार्ग के किमी0-13 से कोठारगांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग की वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो तो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी जायेगी।

दिनांक- 09.05.2025


गवाह-1


अपर सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई
सिंचाई खण्ड-प्रथम नई टिहरी





ह0 शपथकर्ता

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई, सिंचाई खण्ड-1
नई टिहरी

गवाह-2


सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई
सिंचाई खण्ड-प्रथम नई टिहरी

ATTESTED

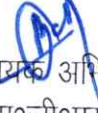
Bijendra Prasad Pant
Advocate & NOTARY
Tehsil - Jakhnidhar/Tehri
Tehri Garhwal (U.K.)

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के किमी0 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8180 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38305/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम की जायेगी जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 39 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। शर्त के अनुसार न्यूनतम प्रभावित 39 पेड़ों की कटाई की निर्धारित धनराशि रु0 813301.00 उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में जमा की जा चुकी है।

अपर सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी


सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी


अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के किमी० 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8180 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38305/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग के मांग के अनुसार प्रतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रु० 12,26,001.00 ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic.in>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा की जा चुकी है। चालान की छायाप्रति संलग्न है।



अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 28-12-2020

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	EEPMSGSYTEHRI
PIF/Application No.	6138305723
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/52/2020/FC
Address.	EE PMGSY III NEW TEHRI Garhwal
Remitter Contact No.	eepmsgsy3tehr@gmail.com
Email-Id.	9411137521
Mobile No.	1376-232160
Landline No.	
Amount(In Rs)	24204271/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0371)

Amount In Words: Twenty-Four Lakh Twenty Thousand Four Hundred and Twenty-Seven Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number

Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y.
Irrigation Division-I
New Tehri

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 28-12-2020

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	EEPMSGSYTEHRI
PIF/Application No.	6138305723
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/52/2020/FC
Address.	EE PMGSY III NEW TEHRI Garhwal
Remitter Contact No.	eepmsgsy3tehr@gmail.com
Email-Id.	9411137521
Mobile No.	1376-232160
Landline No.	
Amount(In Rs)	24204271/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0371)

Amount In Words: Twenty-Four Lakh Twenty Thousand Four Hundred and Twenty-Seven Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number

Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 28-12-2020

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	EEPMSGSYTEHRI
PIF/Application No.	6138305723
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/52/2020/FC
Address.	EE PMGSY III NEW TEHRI Garhwal
Remitter Contact No.	eepmsgsy3tehr@gmail.com
Email-Id.	9411137521
Mobile No.	1376-232160
Landline No.	
Amount(In Rs)	24204271/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0371)

Amount In Words: Twenty-Four Lakh Twenty Thousand Four Hundred and Twenty-Seven Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number

Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

वन विभाग की मांग के अनुसार प्रतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रु. 12,26,001.00
वन विभाग की मांग के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (स्मॉन्पीवी) रु. 11,94,426.00
Total रु. 24,20,427.00

प्राप्तकर्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिविल सुड
नई दिल्ली

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के किमी0 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8180 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38305/2019)

State govt. will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. the state govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.

बिन्दु संख्या-7 की शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।



अपर सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी



सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी



अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के किमी० 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8180 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38305/2019)

एफ०आर०ए० 2006 का पूर्ण अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है। जिला अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है।


अपर सहायक/अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी

प्रारूप-30.1

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT - TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) Act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Tehri Garhwal district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Dr. V. Shanmugam I.A.S District collector, Tehri Garhwal at New Tehri in which application claiming rights in Block - Bhilangana area measuring 1.818 hect. for प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलगंगा में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के कि०मी० 13.00 से कोठार गांव मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 3.6 किमी० स्टेज प्रथम, फैंज-XIX forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; New Tehri

Dated: 27/07/19.

Dr. V. Shanmugam
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल
District Collector-cum-Chairman
District Level Committee

Photocopy attested

अ. अ. अ.
सहायक अभियंता
पी०एम०जी०एस०वाई०-III
लो०नि०वि० टिहरी

Photo Copy Attested

23.05.2019
Assistant Engineer
P.M.G.S.Y.
Irrigation Division-I
New Tehri

It is further certified that-Minutes of Meeting of Construction of प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलगंगा में घनसाली धुत्तु मोटर मार्ग के कि०मी० 13.00 से कोठार गांव मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 3.6 किमी० स्टेज प्रथम, फेज-~~II~~ निर्माण कार्य scheme regarding FRA is as following.

Sr. No.	Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA had been carried out for the entire 1.818 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committee (s), sub Division Level committee(s)
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the EE PMGSY-3 PWD New Tehri have given consent to it.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.

[Signature]

(केंदार बत्वाल)
जिला पंचायत सदस्य,
जिला पंचटिहरी गढ़वाल समिति
टिहरी गढ़वाल

[Signature]
समाज कल्याण अधिकारी
जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रतिहस्ताक्षरित

[Signature]
प्रभागीय वनाधिकारी,
प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

[Signature]
वन विभाग
भिलगंगा में घनसाली
दि. 30.05.2015

[Signature]
अधिशारी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०-3
लो०नि०वि० नई टिहरी

[Signature]
उप जिलाधिकारी/प्रशासक,
नगर विकास, घनसाली
घनसाली

[Signature]
जिला अधिकारी
जिला गढ़वाल
टिहरी गढ़वाल

[Signature]
Photocopy attested
सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०-III
लो०नि०वि० टिहरी

Photo Copy Attested

[Signature]
23.05.2015
Assistant Engineer
P.M.G.S.Y.
Irrigation Division-I
New Tehri

प्रपत्र- 30.2

~~पृष्ठ 23.2~~

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलगंगा में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के कि०मी० 13.00 से कोठार गांव मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 3.6 किमी० स्टेज प्रथम, फ़ैज-~~XVIII-XIX~~

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्डीय स्तरीय समिति, धनसाली

उपखण्ड घनसाली परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलगंगा में घनसाली धुत्तु मोटर मार्ग के कि०मी० 13.00 से कोठार गांव मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 3.6 किमी० स्टेज प्रथम, फैज-खोर्द निर्माण कार्य हेतु 1.81 हे० आरक्षित वन भूमि का अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०-3 लो०नि०वि० नई टिहरी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील-घनसाली) की दिनांक-3-6-2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री पिंजारा प्रसाद उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

1. श्री फ. प्र. पं. पांडे उपजिलाधिकारी
2. श्री शारदा मिश्र प्रभागीय वनाधिकारी
3. श्री राम प्रसाद पंत स0 समाज कल्याण अधिकारी / चमियाला
4. श्री विनायक गुनगोली बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत सदस्य / प्रमुख गिनपेशा
- अध्यक्ष।
सदस्य।
सदस्य / सचिव।
सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलगंगा में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के कि०मी० 13.00 से कोठार गांव मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 3.6 किमी० स्टेज प्रथम, फेज-xxviii-xxix निर्माण कार्य हेतु 1.818 है० वन भूमि का अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०-3 लो०नि०वि० नई टिहरी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी गढ़वाल नई टिहरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार को दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में नगर पंचायत/ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

Photocopy attached

सहायक अभियंता
पी०एन०जी०एस०वाई०-III
लो०नि०वि० टिहरी

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y.
Irrigation Division-I
New Tehri

प्रारूप - 30.3

कार्यालय उपजिलाधिकारी, घनसाली
उपखण्ड स्तरीय समिति, घनसाली
टिहरी गढ़वाल।

आज दिनांक-13-6-2019 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विकास खण्ड भिलगंगा में घनसाली घुल्लु मोटर मार्ग के कि०मी० 13.00 से कोठार गांव मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 3.6 कि०मी० स्टेज प्रथम, फेज-~~प्रथम~~ निर्माण कार्य हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड वन अधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी, घनसाली की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों स्थिति निम्नानुसार :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री कि.चा. (कि.चा.घा.)	उपजिलाधिकारी, घनसाली	
2	श.रत. सिंह नेगी	उप-प्रभारी वनाधिकारी, घनसाली वन-क्षेत्राधिकारी (वि.व.न. 3.3)	उप जिलाधिकारी वन क्षेत्राधिकारी घनसाली भिलगंगा फेज घन वि० ख० प्र० नई
3	रम. रम. पंवार	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	
4	श्री विजय गुनसाली	बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत सदस्य/प्रमुख भिलगंगा	

Photo Copy Attested
सहायक अभियंता
पी०एम०जी०एस०वाई०-III
लो०नि०वि० टिहरी

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभारी वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

Photo Copy Attested

23-05-2019

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y.
Irrigation Division-I
New Tehri

प्राप्त - 30.31

प्रपत्र-23

योजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलगंगा में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के कि०मी० 13.00 से कोठार गांव मोटर मार्ग के भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 3.6 किमी० स्टेज प्रथम, फैज-XXVIII-XIX

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

नगर पंचायत/ग्राम पंचायत का नाम- कोठार

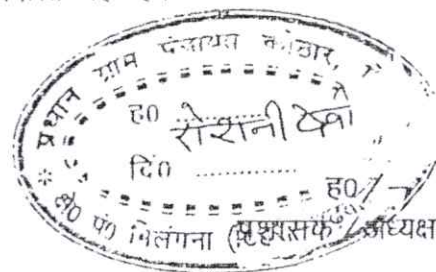
तहसील-घनसाली, जिला-टिहरी गढ़वाल।

II टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलगंगा में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के कि०मी० 0 से कोठार गांव मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 3.6 किमी० स्टेज प्रथम, ~~XXVIII~~ निर्माण कार्य की परियोजना के निर्माण हेतु 1.81 है० आरक्षित वन भूमि का अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०-3 लो०नि०वि० नई टिहरी /संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में नगर पंचायत/ग्राम पंचायत कोठार द्वारा दिनांक-26/02/2019 को सम्पन्न नगर पंचायत/ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पंचायत/ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त नगर पंचायत/ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पंचायत/ग्राम पंचायत कोठार के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०-3 लो०नि०वि० नई टिहरी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



हो/-
अधिशासी अभियन्ता/सचिव
पी०एम०जी०एस०वाई०-III

नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

Photocopy attested

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०-III
लो०नि०वि० टिहरी

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y.
Irrigation Division-I
New Tehri

प्रारूप 30.4, 30.5

संलग्नक 05

सेवा में

दिनांक 26/02/2019

श्रीमान अधिशासी अभियन्ता महोदय
पी०एस० जी०एस० वाई० III
लो० नि० वि० नई टिहरी टि० ग०

विषय- ग्राम कोठार भिलंग की तरफ से सड़क निर्माण के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र
भूमि पर अनापत्ति सम्बन्धी प्रार्थना पत्र महोदय की सेवा में
प्रेषित ।

महोदय- ग्राम कोठार भिलंग टि० ग० में आपके विभाग द्वारा जो सड़क निर्माण
के सम्बन्ध में सर्वे कराया गया है उस सर्वे के अनुसार सड़क निर्माण
के दौरान किसी भी ग्राम वासी की तरफ से कृषि योग्य भूमि/ज० ३
पर किसी भी प्रकार से आपत्ति नहीं है और विकास के कार्यों
में हम समस्त ग्रामवासी सरकार तथा विभाग के साथ कदम
से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं ।

अतः

आपसे हम निवेदन हैं कि हमारे ग्राम समा
में अतिशीघ्रतापूर्वक सड़क निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय
जिससे पिछाई की उत्तम समस्या का निवारण हो सके।

- 1) विजय दत्त खत्री
- 2) देवान-पुनवात्री
- 3) दौलत राम खिवाड़ी
- 4) अमर नाथ
- 5) वन्धू शाह
- 6) राजपाल
- 7) मोरारी देवी
- 8) ~~अमर नाथ~~
- 9) Kamleshwar
- 10) Dhanraj
- 11) मन्दी लाल
- 12) हनुमन्ति
- 13) Bishan

Photocopy attested

M. A. S.

सहायक अभियन्ता
पी०एस०जी०एस०वाई०-III
लो०नि०वि० टिहरी

प्रार्थी
समस्त ग्रामवासी
ग्राम कोठार भिलंग

रमेश सिंह नेगी
सदस्य
क्षेत्र पंचायत व्यवस्था
वि०स०-भिलंगना (टि०ग०)



Photo Copy Attested

26-05-2025
Assistant Engineer
P.M.G.S.Y.
Irrigation Division-I
New Tehri

१२ ~~अमर~~

रत्नलाल

किशोर लाल

धरंजी लाल

बालकृष्ण

शिवदत्त

सहजलाल

मिने

विजय लाल

देवी

रत्न वीर

उमेश मिश्र

विश्व लाल

पुष्प लाल

दीपक

सहाय

Photocopy attested

Amil

सहायक अभियंता
पीएमजीएसवाई-III
लोनिविटिहरी

Photo Copy Attested

Amil
23-05-2025

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y.
Irrigation Division-I
New Tehri

Strip Plantation किये जाने के का वचन वद्धता प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के किमी० १३ से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु १.८१८० है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38305/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख Strip Plantation किया जायेगा।



अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-१, नई टिहरी



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-१, नई टिहरी



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-१, नई टिहरी

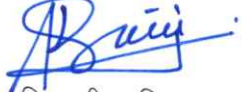
प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के किमी0 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8180 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38305/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।


अपर सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी


सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी


अधिशायी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी

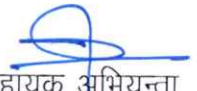
प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के किमी0 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8180 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38305/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो, प्राप्त करेगा।

लागू नहीं है।


अपर सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी


सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी


अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी

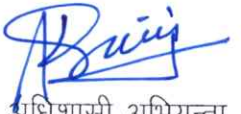
प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के किमी० 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8180 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38305/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग पर निर्माण के दौरान केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्ताव का ले आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।


अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के किमी0 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8180 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38305/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान वनभूमि में कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किये जायेंगे।


अपर सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी


सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी


अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के किमी0 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8180 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38305/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से प्रर्याप्त लकड़ी विशेषता वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।


अपर सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी


सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी


अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के किमी० 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8180 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38305/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग पर निर्माण के दौरान सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।


अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के किमी0 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8180 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38305/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।


अपर सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी


सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी

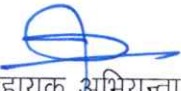

अधीशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी

प्रमाण-पत्र

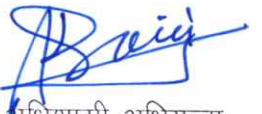
परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के किमी0 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8180 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38305/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान वनभूमि का प्रयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा।


अपर सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी


सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी


अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के किमी0 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8180 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38305/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न है।


अपर सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी


सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी


अधिसासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के किमी० 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8180 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38305/2019)

वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।


अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी

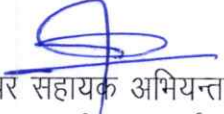

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी


अधिसूचक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के किमी० 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8180 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38305/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण एवं विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।


अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के किमी0 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8180 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38305/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के किमी0 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग (लम्बाई 3.400 कि0मी0) के नव निर्माण कार्य से उत्पादित मलवे को उचित प्रक्रियानुसार सुरक्षित स्थान पर डम्पिंग किया जायेगा। मक डम्पिंग स्थल मार्ग के किनारे स्थित है। मलवा निस्तारण हेतु खड् साइड में मार्ग के समान्तर वायर क्रेट लगाये जाने का प्रावधान किया गया है। कृषकों द्वारा अपनी भूमि पर मलवा निस्तारण हेतु अनापत्ति भी प्रदान की गयी है। मलवा कहीं भी वृक्ष आच्छादित क्षेत्र एवं जल स्रोतों में नहीं डाला जायेगा एवं वन सम्पदा पर्यावरण एवं वन्य जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे वहां उस मलवे को किसी सुरक्षित स्थान पर एकत्रित किया जायेगा। कार्य का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त मलवा निस्तारण स्थलों पर उपयुक्त प्राजाति के पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा।


अपर सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी


सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी


अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी

समस्या का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी
समस्या के विकास खण्ड भिलगंगा में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के कि०मी० 13.00
से कोठार गांव मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 3.6 किमी० स्टेज
प्रथम, फीज-XIX

मक डम्पिंग लोकेशन

क्र० सं०	मक डम्पिंग चैनेज	मक डम्पिंग Coordinates		टिप्पणी
		Lat.	Long.	
A	12.650 Km.	30° 28' 46.41" N	78° 42' 3.95" E	घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के किमी० 13. (12. 650) पर स्थित है।
B	1.375 Km.	30° 28' 49.49" N	78° 41' 47.2" E	स्वीकृत समरेखण पर स्थित है।
C	2.350 Km.	30° 29' 8.31" N	78° 41' 42" E	स्वीकृत समरेखण पर स्थित है।

Poonam

कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०-3
लो०नि०वि० नई टिहरी

of Anil

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०-3
लो०नि०वि० नई टिहरी

B

अधिसारी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०-3
लो०नि०वि० नई टिहरी

Photo Copy Attested

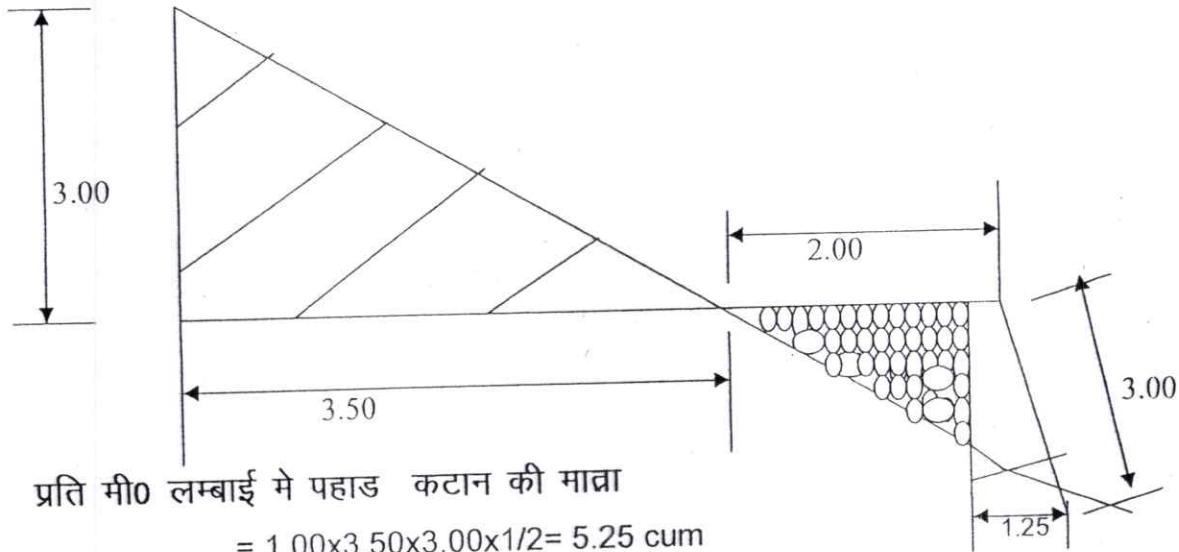
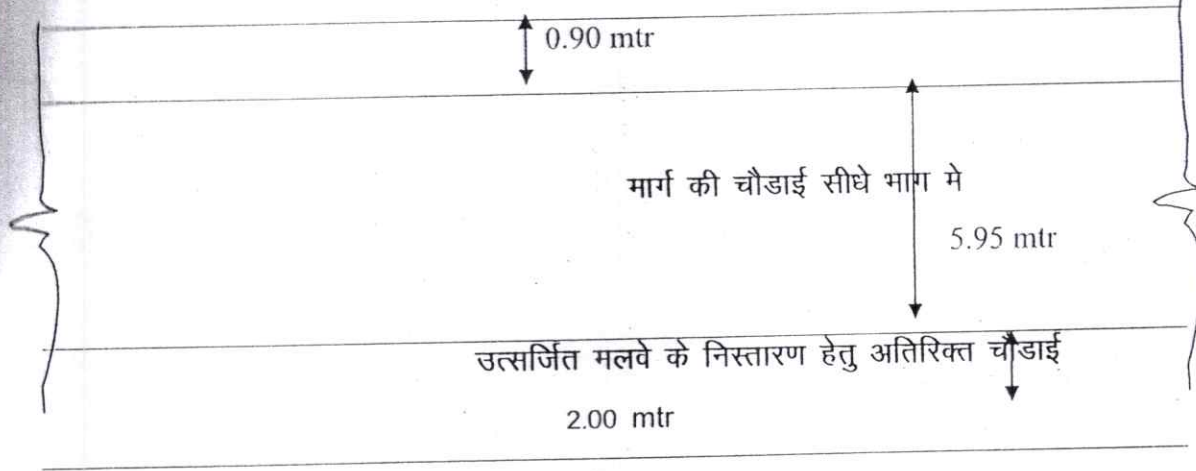
23-05-2025

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y.
Irrigation Division-I
New Tehri

परियोजना का नाम :-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलगंगा में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के कि०मी० 13.00 से कोठार गांव मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 3.6 किमी० स्टेज प्रथम, फैज-~~XVIII~~ XIX

परियोजना से उत्पादित मलवे के निस्तारण की मानचित्र योजना



प्रति मी० लम्बाई में पहाड़ कटान की मात्रा

$$= 1.00 \times 3.50 \times 3.00 \times 1/2 = 5.25 \text{ cum}$$

1.- भारवाहक दीवार

$$= \frac{1 \times 1.00 \times 0.50 + 1.50 \times 3.00}{2} = 3.00 \text{ Cum}$$

2.- फिलिंग/सुपरएलीवेशन

$$= \frac{1}{2} \times 1.00 \times 2.00 \times 2.00 = 2.00 \text{ Cum}$$

5.00 Cum

Photo Copy Attested

Assistant Engineer

P.M.G.S.Y.

Irrigation Division-I

New Town

अधिशासक अभियंता

पी०एम०जी०एस०वाई०-III

लो०नि०वि० टिहरी

Roshan
J.Eसहायक अभियंता
पी०एम०जी०एस०वाई०-III
लो०नि०वि० टिहरी

प्रपत्र—

परियोजना का नाम:— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलगंगा में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के कि०मी० 13.00 से कोठार गांव मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 3.6 कि०मी० रटेज प्रथम, फैज—XVIII—XIX

मक डम्पिंग प्लान प्रमाण— पत्र

Muck Disposal हेतु भूमि के चयन का विवरण:— प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत मक डम्पिंग हेतु 03 नं० स्थल का चयन किया जा चुका है जिसमें वन विभाग से सहमति प्राप्त कर ली गयी है। चयनित मक डम्पिंग स्थलों का विवरण निम्न प्रकार है:—

S.N	Length (Mtr.)	Width (Mtr.)	Area in Hac.	Capacity of Dumping yard			
				L (Mtr.)	B (Mtr.)	H (Mtr.)	QTY (Cum)
1	40	30	0.12	40	(20+40)/2	6	7200
2	20	9	0.018	20	(8+10)/2	6	1080
3	40	18	0.072	40	(16+20)/2	6	4320
	Total		0.210				12600

उक्त मक डम्पिंग स्थल मार्ग के किनारे स्थित है। मलवा निस्तारण हेतु खड् साइड में मार्ग के समान्तर वायर क्रेट लगाये जाने का प्राविधान किया गया है।

अतः उक्तानुसार उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु डम्पिंग जोनो के निर्माण कार्य हेतु रु० 2187299.57 तथा मक डिस्पोजल के स्थान पर वृक्षारोपण कार्य हेतु रु०कुल रु० का प्राक्कलन गठित किया गया है। उक्त प्राक्कलन के अनुसार ही मार्ग निर्माण के समय उक्त कार्य भी कराये जायेंगे। मलवा कहीं भी वृक्ष आछादित जल स्रोतों एवं पहाड़ी ढलानों में नहीं डाला जायेगा।

Photo Copy Attested

23.05.2025

Assistant Engineer

P.M.G.S.Y.

Irrigation Division-I
New Tehri

कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०-3
लो०नि०वि० नई टिहरी

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०-3
लो०नि०वि० नई टिहरी

अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०-3
लो०नि०वि० नई टिहरी

जन सेवा अधिकारी
भिलगंगा रेंज घनसाली
ति० नं० 40 नई टिहरी

24.05.2025

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०-3
लो०नि०वि० नई टिहरी

उप जिलाधिकारी

Name of Work-Ghansali ghuttu motor road km 13 to kothar motor road			
S. NO.	Particular	Qty.	Unit
1	Material received from Hill Side Cutting	41763.45	Cum
	Total=	41763.45	Cum
QUANTITY OF MATERIAL REUSED FROM MATERIAL OBTAINED AFTER HILL SIDE CUTTING			
1	R.R. Stone massonary(1:5)	2998.90	Cum
2	R.R. Stone massonary Dry	2138.92	Cum
3	Wire Crate	2500.00	Cum
4	H.P.S	1651.75	Cum
5	Back Filling	1950.00	Cum
6	Coolie Walling	901.85	Cum
7	Subgrade	11616.59	Cum
8	Patri filling	1848.09	Cum
9	Super Elevation	630.00	Cum
10	G.S.B.	1619.38	Cum
11	G-II	883.30	Cum
12	G-III	883.30	Cum
	Total=	29622.08	Cum
	Material disposal by cartage in dumping yards	12141.37	Cum
Location and Quantity of Debris material disposal			
Location of Dumping Yards (Km.)	Size of Dumping yard	Capacity of Dumping Yard	Unit
1	40*30*6	7200.00	Cum
2	20*9*6	1080.00	Cum
3	40*18*6	4320.00	Cum
	Total=	12600.00	Cum
Summary of Debris Disposal			
Material Disposal by cartage in Dumping Yards		Reused material for road construction	Unit
Total Debris		12141.37	Cum
1	41763.45		

Photo Copy Attested
 P.M.G.S.Y
 Irrigation Division-I
 New Tehri

वन सहायक अमियता
 पीएमजीएसवाई-III
 लोनिवि डिप्टी

अधिरासी अमियता
 पीएमजीएसवाई-III
 लोनिवि डिप्टी

सहायक अमियता
 पीएमजीएसवाई-III
 लोनिवि डिप्टी

सहायक अमियता
 पीएमजीएसवाई-III
 लोनिवि डिप्टी

Detail of measurement							
Name of work:-ghansali to ghuttu motor road km 13 to kothar m/r							
Sr. No.	Discription	NO	L	W	H/D	Qty.	Unit
1	Earthwork in excavation for structure as per drawing and technical specifications clause 305.1 including setting out ,construction of shoring and bracing, removal of stumps and other deleterious material and disposal upto a lead of 50 m,dressing of sides and bottom and backfilling in trenches with excavated suitable material.						
	p-1	1x1/2	40.00	1.50	1.20	36.00	Cum
		1X2X1/2	30.00	1.50	1.20	54.00	Cum
	p-2	1x1/2	20.00	1.50	1.30	19.50	Cum
		1X2X1/2	9.00	1.50	1.30	17.55	Cum
	p-3	1x1/2	40.00	1.50	1.20	36.00	Cum
		1X2X1/2	18.00	1.50	1.20	32.40	Cum
					Total	195.45	Cum
2	providing & laying of boulder apron laid in wire crates with 4 mm dia GI wire confirming to IS :280 and IS:4826 in 100x 100 mm mesh (woven diagonally) including 10 percent extra for laps and joint laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each (wire crates size 3.00x1.50x1.25m) as directed by engineer-in-charge and MORD Specification for Rural roads 2016						
	p-1	1x1	40.00	1.50	6.00	360.00	Cum
		1x1	30.00	1.50	6.00	270.00	Cum
	p-2	1x1	20.00	1.50	6.00	180.00	Cum
		1*1	9.00	1.50	6.00	81.00	cum
	p-3	1*1	40.00	1.50	6.00	360.00	Cum
		1*1	18.00	1.50	6.00	162.00	cum
						1413.00	cum

Photo Copy Attested

Posham
J.E

सहायक अभियंता
पी०एम०जी०एस०वाई०-III
लो०नि०वि० टिहरी

अधिशोसी अभियंता
पी०एम०जी०एस०वाई०-III
लो०नि०वि० टिहरी

23-05-2021
Assistant Engineer
P.M.S.Y.
Kargil Division-I
Tehri

सहायक अभियंता
पी०एम०जी०एस०वाई०-III
लो०नि०वि० टिहरी

वि० प्र० नई दिल्ली

BILL OF QUANTITY					
Name of Work-Ghansali ghuttu motor road km 13 to kothar motor road					
S.No.	Item of work	Qty.	Unit	Rate	Amount
1	Earthwork in excavation for structure as per drawing and technical specifications clause 305.1 including setting out ,construction of shoring and bracing, removal of stumps and other deleterious material and disposal upto a lead of 50 m,dressing of sides and bottom and backfilling in trenches with excavated suitable material.	195.45	Cum	290.10	56700.05
2	providing & laying of boulder apron laid in wire crates with 4 mm dia GI wire confirming to IS :280 and IS:4826 in 100x 100 mm mesh (woven diagonally) including 10 percent extra for laps and joint laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each (wire crates size 3.00x1.50x1.25m) as directed by engineer-in-charge and MORD Specification for Rural roads 2016	1413.00	Cum	1342.00	1896246.00
				total	1952946.05

Poonam
J.E

M. Anil
सहायक अभियंता
पीएमजीएसवाई-III
लोनिविटिहरी

B
अधिसारी अभियंता
पीएमजीएसवाई-III
लोनिविटिहरी

M. Anil
वन क्षेत्राधिकारी
भिलगन्ना रेंज घनराला
दि 08 प्रो नई टिहरी

M. Anil
सहायक अभियंता
पीएमजीएसवाई-III
लोनिविटिहरी

Photo Copy Attested

23-05-2025
Assistant Engineer
P.M.G.S.Y.
Irrigation Division-I
New Tekri

Photocopy attached
M. Anil
सहायक अभियंता
पीएमजीएसवाई-III
लोनिविटिहरी

Name of Work: Ghansali ghuttu motor road km 13 to kothar motor road

ABSTRACT OF COST

S/No.	Description of work	Amount (Rs.)	GST(12%)	Amount with GST
1	Construction for Dumping yard	1952946.05	234353.53	2187299.57

Boham
J.E

y. Anil
सहायक अभियंता
पी०एम०जी०एस०वाई०-III
लो०नि०वि० टिहरी

y. Anil
अधिसारी अभियंता
पी०एम०जी०एस०वाई०-III
लो०नि०वि० टिहरी

y. Anil
घन क्षेत्राधिकार
मिलान रेंज घनशाला
टि० व० प्र० नई टिहरी

Photocopy attached

y. Anil
श० ३० १५०५९६

y. Anil
सहायक अभियंता
पी०एम०जी०एस०वाई०-III
लो०नि०वि० टिहरी

Photo Copy Attested

y. Anil
23-05-2025
Assistant Engineer
P.M.G.S.Y.
Irrigation Division-I
New Tehri

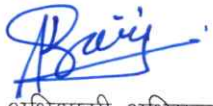
प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के किमी0 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8180 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38305/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो इनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयुक्त एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।


अपर सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी


सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी


अधिसासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग के किमी0 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8180 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/38305/2019)

प्रमाणित किया जाता है कि अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic.in>) पर अपलोड कर दी गयी है।


अपर सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी


सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी


अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी

कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376-232077,
ई:मेल :
dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक 3982/12-1

नई टिहरी,

दिनांक-

23-05-2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषय:-

जनपद-टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड भिलंगना में घनसाली-घुत्तु मोटर मार्ग के कि०मी० 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.818 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन प्रस्ताव सं०-FP/UK/ROAD/38305/2019)।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार का पत्रांक-08बी./यू.सी.पी./06/52/2020/एफ०सी०/1650, दिनांक-28.10.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी के भिलंगना राजि अन्तर्गत “जनपद-टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड भिलंगना में घनसाली-घुत्तु मोटर मार्ग के कि०मी० 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.818 है०” वन भूमि के एवज में 3.636 है० सिविल भूमि (उत्तराखण्ड सरकार श्रेणी-9(3)(डं०)) (अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि) का हस्तान्तरण व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग के पक्ष में जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल द्वारा अमल दरामद आदेश/संख्या-554/XI-ALC(2020-21), दिनांक-21.09.2021 (छायाप्रति संलग्न) से किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र० सं०	जनपद	ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	अर्जित रक्वा (है०)	भूमि की किस्म
1	टिहरी गढ़वाल	कोठार	भिलंग	31	2570म०	3.636	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)(डं०) अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि
					योग	3.636	

महोदय, उक्त भूमि को वन क्षेत्राधिकारी, भिलंगना राजि द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है (छायाप्रति संलग्न)। प्रश्नगत क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित 3.636 है० सिविल भूमि (उत्तराखण्ड सरकार श्रेणी-9(3)(डं०)) (अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि) को “भारतीय वन अधिनियम 1927, यथासंशोधित (केन्द्रीय अधिनियम सं०-16वर्ष-1927)” की धारा 29 के अन्तर्गत “संरक्षित वन” घोषित किया जाना है, जिस हेतु “अधिसूचना का ड्राफ्ट (हिन्दी व अंग्रेजी)”- (छायाप्रति संलग्न), शासनादेश हेतु संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः सहमति की स्थिति में अग्रिम कार्यवाही करना चाहे।

संलग्नक:-

- 1-अमलदरामद आदेश 2- वन क्षेत्राधिकारी भिलंगना राजि द्वारा कब्जे में लिया गया कब्जा प्रमाण-पत्र।
3-अधिसूचना का ड्राफ्ट। 4- दाखिला खारिज। 5- चयनित क्षतिपूरक वनीकरण क्षेत्र का जियोरेफरेन्स मैप।

भवदीय,
(पुनीत तोमर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

संख्या:- 3982 /12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- मुख्य वन संरक्षक(गढ़वाल) उत्तराखण्ड पौड़ी।
- 3- जिलाधिकारी, जनपद-टिहरी गढ़वाल।
- 4- उप प्रभागीय वनाधिकारी, घनसाली उप वन प्रभाग।
- 5- वन क्षेत्राधिकारी, भिलंगना राजि।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

Government of Uttarakhand

Forest Section-2

Number

Dehradun:Dated- / / 2025

Notification

The Honorable Governor of Uttarakhand, in exercise of Powers vested under section 29, sub-Section 1 to 3 of the Indian Forest Act 1927 (16 of 1927), is hereby pleased to declare the civil land, whose details are given in the table below, and which was transferred and mutated in favour of the **Tehri Forest Division**, for the purpose of Compensatory afforestation against the **Construction of Ghansali Ghuttu km 13 to Kothar village Motor Road in Bhilangna Block of District Tehri Garhwal** as Protected Forest, with immediate effect from this notification.

District	Village	Patti	Khata Number	Khasra Number	Total area (in Hectares)	Category of Land
Tehri Garhwal	Kothar	Bhilang	31	2570M.	3.636	Uttarakhand Government Category 9(3)(D)
				Grand Total	3.636	

Accordingly **Tehri Forest Division** will erect boundary pillars around the notified land and include the area notified herein, in the Divisional records.

(R.K.Sudhanshu)
Principal Secretary

Number:- /x-2-2020-15(29)/2002, **Date / /2025**

Copy to:Following for information and necessary action-

1. Principal Chief Conservation of Forests (HoFF), Uttarakhand, Dehradun.
2. Principal Chief Conservation of Forests, Wildlife, Uttarakhand, Dehradun.
3. Additional Principal Chief Conservation of Forests and Nodal Officer, Uttarakhand, Dehradun.
4. Commissioner, Garhwal Mandal, Uttarakhand, Pauri.
5. Chief Conservation of Forests, Garhwal, Uttarakhand, Pauri.
6. Consvator of Forests, Bhagirathi Circle, Uttarakhand, Munikireti.
7. District Magistrate, Tehri Garhwal.
8. Divisional Forest officer, Tehri Forest Division, New Tehri.
9. Sub-Divisional Magistrate, Ghansali.
10. Joint Director, Litho Press, Government Press, Roorkee with this intention that please to publish the said notification in the upcoming extraordinary Gazette and make available 200 copies of it to the Government.
11. NIC, Uttarakhand Secretariat
12. Guard File

(R.K.Sudhanshu)
Principal Secretary

उत्तराखण्ड शासन

वन अनुभाग-2

संख्या- /

देहरादून: दिनांक:- , 2025

अधिसूचना

महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य, भारतीय वन अधिनियम 1927 यथासंशोधित (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-16, वर्ष 1927) की धारा-29 की उपधारा(1-3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अनुसूची में दिये गये " जनपद-टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली-घुत्तू मोटर मार्ग के कि०मी० 13 से कोठार गांव (प्रथम स्टेज) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.818 है०" आरक्षित वन भूमि के सांपेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु निम्न विवरणानुसार आवंटित/अमलदरामद हेतु 3.636 है० भूमि जो राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी-9(3)(ड)) सिविल भूमि है को "संरक्षित वन" घोषित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका विवरण निम्नप्रकार है।

क्र०सं	जनपद	ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल (है०)	भूमि की किस्म
1	टिहरी-गढ़वाल	कोठार	भिलंग	31	2570म०	3.636	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)(ड))
					योग:-	3.636	

उपरोक्तानुसार भूमि चिन्हित एवं सीमांकित कर प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, टिहरी गढ़वाल अपने कब्जे में प्राप्त कर अभिलेखों में दर्ज करें।

(आर०के० सुधांशु)
प्रमुख सचिव

संख्या:- /x-2-2020-15(29)/2002, तददिनांकित

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
- 5- मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
- 6- वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।
- 7- जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 8- प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
- 9- उप जिलाधिकारी, घनसाली।
- 10- संयुक्त निदेशक, लिथो प्रेस, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को आगामी असाधारण राजपत्र (गजट) में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं इसकी 200 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 11- एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर।
- 12- गार्ड फाईल।

(आर०के० सुधांशु)
प्रमुख सचिव